



मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद
अधिनियम, 1976 मध्यप्रदेश
राजपत्र (असाधारण) प्रकाशन
दिनांक 15 मार्च, 1976

डाक-धरणी की पूर्ण-सहायता से
बना बाह्य द्वारा भेजे जाते हैं
मिपु. अनुमत. अनुमति-पत्र
एम. वी. सी. 49



पत्रा क्रमांक भोपाल दिवसीय
122 (एम. वी.)

No 17

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97) भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 मार्च 1976 -- फाल्गुन 25, शके 1897.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 1976

क्र. 4197 इकीस-अ (प्रा.) -- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिसे पर
दिनांक 15 मार्च 1976 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी
के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अधिष्ठाानुसार,

दि. ना. आगवण, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ त्म १९७६

मध्यप्रदेश होमयोपेथी परिषद् अधिनियम, १९७६

विषय-सूची

धाराएं:

पहला अध्याय—प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार.
२. परिभाषाएं.

दूसरा अध्याय—राज्य होमयोपेथी परिषद् का गठन

३. राज्य होमयोपेथी परिषद् का गठन.
४. निर्वाचन का ढंग.
५. परिषद् की सदस्यता के लिये निरहतायें.
६. परिषद् का निगमन.
७. परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि.
८. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.
९. कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियां.
१०. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य.

तीसरा अध्याय—परिषद् तथा उसकी समितियों के कामकाज का संचालन

११. परिषद् के सम्मेलन.
१२. गणपूर्ति.
१३. समितियों के सम्मेलन.
१४. परिषद् तथा उसकी समितियों में होने वाली रिक्तियों से कार्यों, आदि का अविधिवत् न होना.
१५. सदस्यों के लिये पारिश्रमिक का प्रतिषेध.

चौथा अध्याय—परिषद् निधि, वजट तथा संपरीक्षा

१६. परिषद् निधि का गठन.
१७. लेखे तथा संपरीक्षा.
१८. बजट.

पांचवां अध्याय—परिषद् का रजिस्ट्रार तथा उसके अन्य कर्मचारी

१९. रजिस्ट्रार.
२०. परिषद् के अन्य कर्मचारी.

घट्टवां:

छठवां अध्याय—रजिस्ट्रीकरण

21. होमियोपैथी का राज्य रजिस्ट्रार.
22. रजिस्ट्रीकरण के लिये दिये गये व्यक्ति.
23. रजिस्ट्रार में अभिलेखन प्रणाली को परिष्कृत.
24. चिकित्सीय व्यवसाय के लिये प्रत्यापी रजिस्ट्रीकरण.
25. रजिस्ट्रार में नाम का हटाया जाना.
26. राज्य रजिस्ट्रार में प्रविष्ट किये गये नामों का प्रकाशन.

सातवां अध्याय—रजिस्ट्रीकृत व्यवसायों के विशेषाधिकार

27. रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के विशेषाधिकार.
28. दस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न किये गये व्यक्तियों द्वारा वावसाय, आदि करने का प्रतिषेध.
29. उपाधि या उपाधिपत्र का निष्का प्रहृण अनुरोध होगा.
30. उपाधि, उपाधिपत्र, आदि का अप्राधिकृत रूप से प्रदान किये जाने का प्रतिषेध.
31. फीस का वापस न किया जाना.

आठवां अध्याय—होमियोपैथी की शिक्षा, परीक्षाओं का संचालन, अध्ययन-पाठ्यक्रम तथा संस्थाओं को मान्यता

32. परिषद् द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं तथा अध्ययन-पाठ्यक्रम और होमियोपैथी में गठनाणा.
33. संस्थाओं को मान्यता.
34. स्तर को बनाये रखना.
35. परिदर्शकों, निरीक्षकों तथा परिदर्शक समितियों की नियुक्ति.
36. मान्यता का प्रत्याहरण.
37. छात्रवृत्ति, वृत्तिकाएं तथा पारितोषिक.
38. शिक्षान्त-समारोह का किया जाना, सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना.
39. पाठ्य-पुस्तकों, आदि का प्रकाशन.

नवां अध्याय—नियंत्रण

40. राज्य सरकार का नियंत्रण.
41. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जानकारी प्रस्तुत करेंगे.
42. परिषद् के आवेश, आदेश को निष्पादन को निलम्बित करने को शक्ति.

दसवां अध्याय—प्रकीर्ण

43. दस्तावेज पेश करने के लिये परिषद् के सेवकों को समन करने पर निर्बन्धन.
44. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का परिद्वान.
45. परिषद् का रजिस्ट्रार तथा अन्य सेवक लोक सेवक होंगे.
46. अपराधों का संज्ञान.
47. शरोसर की नियुक्ति.
48. अपीलें.

धाराएं:

४९. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.
५०. शास्ति.

ग्यारहवां अध्याय—नियम तथा विनियम

५१. नियम बनाने की शक्ति.
५२. विनियम बनाने की शक्ति.

बारहवां अध्याय—व्यावृत्ति

५३. व्यावृत्ति.

तेरहवां अध्याय—अस्थायी उपबंध

५४. अस्थायी उपबंध.
५५. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.
५६. निरसन.

अनुसूची.

मध्य प्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९७६

मध्य प्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, १९७६

[दिनांक १५ मार्च १९७६ को मध्य प्रदेश की राज्यपाल द्वारा जारी किया गया "मध्य प्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक १५ मार्च १९७६ को प्रकाशित किया गया।]

राज्य होमियोपैथी परिषद् के गठन को निरोधक बनाने तथा राज्य में होमियोपैथी के व्यवसायियों को रजिस्ट्रेशन विनियमित करने के लिये एवं उनसे संबंधित विषयों के लिये उपबंध करने के अधिनियम

भारत गणराज्य के संसद के अधिनियमों में मध्य प्रदेश विधान मंडल द्वारा गिनागिनान रूप में यह अधिनियमित है।—

पहला अध्याय—प्रारंभिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, १९७६ है।

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से ज्ञात नहीं हो,—

परिभाषाएँ.

(क) "अनुमोदित संस्था" से अभिप्रेत है चिकित्साध्य, स्वास्थ्य-केन्द्र या ऐसी संस्था जिसमें कोई व्यक्ति, जो होमियोपैथी में चिकित्सीय प्रवृत्ति प्राप्त कर चुका है, अपने अध्ययन-पाठ्यक्रम द्वारा अधिभूत प्रशिक्षण, यदि कोई हो, प्राप्त कर सके;

(ख) "परिषद्" से अभिप्रेत है धारा ३ के अन्तर्गत गठित राज्य होमियोपैथी परिषद्;

(ग) "सूचीबद्ध व्यवसायी" से अभिप्रेत है होमियोपैथी का ऐसा व्यवसायी जिसका नाम निरक्षर एक्ट के अधीन बनाये रखी गई सूची में प्रविष्ट है;

(घ) "होमियोपैथी" से अभिप्रेत है डाक्टर एस. डेवीसन द्वारा प्रतिष्ठापित चिकित्सा पद्धति और उसके अंतर्गत सभी हैं डाक्टर गुनवर की वायुकीमिक उपचार पद्धति, चाहे ऐसी आधुनिक प्रगतियाँ द्वारा, जैसी कि परिषद् समय-समय पर अवधारित करे, उसकी अनुमति को नहीं हो, या न को पड़े हो, और अभिव्यक्ति "होमियोपैथी" का अर्थ तदनुसार समझा जायेगा।

(ङ) "चिकित्सीय संस्था" से अभिप्रेत है राज्य के भीतर या बाहर स्थित कोई ऐसी संस्था जो होमियोपैथी में उप-विद्यार्थियों को अधिभूत या अनुभूतियाँ प्रदान करेगी।

(च) "मान्यता प्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है धारा ३३ के अधीन मान्यता प्राप्त संस्था।

- (घ) "मान्य ग्रहंता" से अभिप्रेत है अनुसूची में सम्मिलित की गई होमियोपैथी संबंधी चिकित्सीय ग्रहंताओं में से कोई भी चिकित्सीय ग्रहंता;
- (ज) "रजिस्टर" से अभिप्रेत है धारा 29 के अधीन रखा गया रजिस्टर;
- (झ) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट हो;
- (ञ) "विनियम" से अभिप्रेत है धारा 52 के अधीन बनाया गया विनियम;
- (ट) "निरसित एक्ट" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश होमियोपैथिक एन्ड वायोर्कमिक प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1959 (क्रमांक 26 सन् 1959);
- (ठ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है भारत में स्थित कोई भी विश्वविद्यालय जो विधि द्वारा स्थापित किया गया हो तथा जिसमें होमियोपैथी का संकाय हो और उसके अन्तर्गत आता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किया गया ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें होमियोपैथी में शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण या गवेषणा के लिये प्रबन्ध किया गया हो.

✓ दूसरा अध्याय—राज्य होमियोपैथी परिषद् का गठन

राज्य होमियोपैथी परिषद् का गठन.

3. (9) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, एक राज्य होमियोपैथी परिषद् का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

- (क) राज्य के प्रत्येक राजस्व आयुक्त संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जो उस संभाग में होमियोपैथी के व्यवसायी के रूप में रजिस्टर में दर्ज किये गये व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा;
- (ख) एक सदस्य जो निम्नलिखित में से प्रत्येक में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा,—
- (एक) राज्य के मान्यता प्राप्त होमियोपैथी महाविद्यालयों के प्राचार्य;
- (दो) राज्य के मान्यता प्राप्त होमियोपैथी महाविद्यालयों के अध्यापक;
- (तीन) राज्य चिकित्सीय सेवा के वे सदस्य जो होमियोपैथी का व्यवसाय करते हों;
- (ग) पांच सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे अर्थात् दो सदस्य उन व्यक्तियों में से होंगे जिन्हें होमियोपैथी के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो तथा तीन सदस्य उन व्यक्तियों में से होंगे जिन्हें अन्य संबद्ध चिकित्सीय पद्धतियों (रिलेटेड मेडिकल डिस्प्लीन) में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो;
- (घ) विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् का एक सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;

(ड) उपसंचालक, होमियोपैथी, मध्यप्रदेश :

परन्तु परिषद् के प्रथम गठन के लिये, खण्ड (क) के अधीन तदस्य राज्य सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नामनिर्देशन किये जायेंगे जो कि उक्त रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये उक्त खण्ड (क) के अधीन आँ हों :

परन्तु यह और भी कि यदि प्रथम परिषद् किसी कारण से, या अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को गठन न हो सके या उसे अस्तित्व में नहीं लाया जा सकता हो तो राज्य सरकार, एक माह में अतिरिक्त कालावधि के लिये किसी व्यक्ति को परिषद् के भारत-साध्यक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया भारतसाध्यक अधिकारी, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अधीन परिषद् की समस्त धितियों का प्रयोग करेगा तथा उसके समस्त धितियों का पालन करेगा और वह अपनी सेवाओं के लिये ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायें, परिषद् निधि से प्राप्त करेगा :

परन्तु यह भी कि यदि परिषद् पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित हो जाये, तो भारतसाध्यक अधिकारी नवीन रूप से गठित परिषद् के प्रथम साधारण सम्मेलन के लिये नियम की गई तारीख से अपने पद पर नहीं रहेगा.

(२) परिषद् के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से ऐसी रीति में निर्वाचित किये जायेंगे जैसी कि विहित की जाय :

परन्तु परिषद् के प्रथम गठन के लिये, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का नामनिर्देशन, राज्य सरकार द्वारा, प्रथम परिषद् के सदस्यों में से किया जायेगा.

४. (१) धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन का संचालन राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अधिकारी द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार किया जायेगा जो कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाये जायें.

निर्वाचन का ढंग.

(२) जहां परिषद् के लिये किसी निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उद्भूत हो, वहां वह राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा.

५. (१) कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने तथा उसका सदस्य होने के लिये निरहित होगा:—

परिषद् की सदस्यता के लिये निरहताएं.

(क) यदि वह न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध हो उठराया गया हो जिसमें कि नैतिक अधमता अन्तर्भूत है ;

(ख) यदि वह विकृत चित्त का हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित कर दिया गया हो ;

(ग) यदि वह अनुमोचित दिवालिया हो ;

- (घ) यदि वह परिषद् का पूर्णकालिक कर्मचारी हो ;
 (ङ) यदि उसकी आयु 27 वर्ष से कम हो ;
 (च) यदि वह परिषद्, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्रशासकीय निकाय का कर्मचारी हो,
 (छ) यदि वह परिषद् के माध्यम से परिषद् द्वारा या परिषद् की ओर से कोई भी कार्य सम्बन्धी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई अंश या हिस्सा प्राप्त हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय, सदस्य के रूप में एक से अधिक हैसियत में सेवा नहीं कर सकेगा।

(3) धारा 3 की उपधारा (9) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग के अन्तर्गत आने वाला कोई भी व्यक्ति, उक्त धारा की उपधारा (9) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचित किये जाने के लिये पात्र नहीं होगा।

परिषद् का निगमन।

6. परिषद्, राज्य होमिओपैथी परिषद्, मध्यप्रदेश, के नाम से एक निगमित निकाय होगी, उसका शास्यत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका व्ययन करने और श्रद्धा करने की शक्ति प्राप्त होगी और वह उक्त नाम से वाद चलायेगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जायेगा।

परिषद् के अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष तथा
सदस्यों की
पदावधि।

7. (1) परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य यथास्थिति अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या उसके उत्तराधिकारी का सम्यक् रूप से निर्वाचन या नाम-निर्देशन होने तक, इनमें से जो भी अवधि दीर्घतर हो, पद धारण करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद लगातार दो कालावधियों के लिये धारण करता हो, उस पद पर पुनः निर्वाचित किया जाने के लिये पात्र नहीं होगा।

(3) परिषद् के सदस्य पुनः निर्वाचित किये जाने या पुनः नामनिर्देशन के लिये पात्र होंगे।

(4) किसी भी निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है—

(क) यदि वह परिषद् के तीन लगातार साधारण सम्मेलनों से ऐसे प्रति हेतु के बिना अनुपस्थित रहे जो कि परिषद् की राय में पर्याप्त हो; या

(ख) यदि वह धारा 5 की उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट की गई निरर्हता-ताओं में से किसी भी निरर्हता का भागी हो जाये; या

(ग) धारा 3 की उपधारा (9) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचित किये गये सदस्य के मामले में, यदि वह रजिस्टर में नामांकित न रहे जाय; या

(घ) धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) या खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य के मामले में, यदि वह उस पद पर न रहे जिसके कि आधार पर उसका इस प्रकार नामनिर्देशन किया गया हो ;

और तदुपरान्त परिपद उसका स्थान रिक्त घोषित करेगी ;

परन्तु परिपद किसी स्थान को तब तक रिक्त घोषित नहीं करेगी जब तक कि संबंधित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(५) परिषद् में होने वाली आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति निर्वाचन या नामनिर्देशन द्वारा भरी जायगी, और उस रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचित किया गया या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति केवल उस अवधि के शेष काल के लिये पद धारण करेगा जिसके लिये कि वह सदस्य जिसका कि स्थान वह लेता हो, निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(६) जहाँ किसी सदस्य के बारे में पांच वर्ष की उक्त अवधि का अवसान होने की है, वहाँ उक्त अवधि का अवसान होने के पूर्व तीन मास के भीतर किसी भी समय उत्तराधिकारी का निर्वाचन या नामनिर्देशन किया जा सकेगा किन्तु वह उत्तराधिकारी तब तक पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उक्त अवधि का अवसान न हो जाय।

(१) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से ऐसे बहुमत से, जो परिषद् अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव बहुमत तत्समय परिषद् का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के भाग से अधिक हो, परिषद् द्वारा पारित किये गये संकल्प द्वारा हटाया जा सकेगा।

परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने के आशय की कम से कम त्रिदह दिन की सूचना न दी गई हो।

(२) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिसके कि विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन प्रस्ताव पारित किया गया हो, पद धारण करने से तत्काल परित्यक्त हो जायगा और अध्यक्ष के हटा दिये जाने की दशा में उपाध्यक्ष उस समय तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित न हो जाय।

(३) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उस सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें कि उसके विरुद्ध प्रविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा की जानी हो। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, द्वारा या उसके इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किये गये अधिकारी द्वारा की जायगी। तथापि, यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मेलन की कार्यवाहियों में बोलने तथा अन्यथा भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा।

(१) उपधारा के प्रयाजनों के लिये सम्मिलन विहित रीति में किया जायेगा-

कार्यकारिणी समिति तथा परिषद् अपने सदस्यों में से एक कार्यकारिणी समिति का तथा नया अन्य समिति/समितियाँ का गठन करेगी जिन्हें कि परिषद् इस अधिनियम के प्रयाजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

(२) कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से, जो पदेन सदस्य होंगे, तथा ऐसे अन्य पाँच सदस्यों से मिलकर बनेगी जो परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे जिनमें से कम से कम तीन सदस्य परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्य होंगे।

(३) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के क्रमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होंगे।

(४) कार्यकारिणी समिति, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों तथा इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किये गये कर्तव्यों के अतिरिक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जिन्हें कि परिषद् किन्हीं ऐसे विनियमों द्वारा, जो कि इस संवध में बनाये जायं, उसे प्रदत्त करे या उस पर अधिरोपित करे।

(५) उपधारा (१) के अधीन गठित समिति, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करने या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने में, परिषद् के नियंत्रणाधीन होगी और परिषद् ऐसी समिति द्वारा पारित किये गये किसी आदेश को या उसके द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को पुनरीक्षित करने या उसे विखण्डित करने के लिये सक्षम होगी।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियाँ एतद् कर्तव्य।

१०. (१) अध्यक्ष को, परिषद् तथा कार्यकारिणी समिति के सम्मिलन बुलाने की शक्ति प्राप्त होगी। वह परिषद्, कार्यकारिणी समिति तथा ऐसी अन्य समितियों के सम्मिलनों की, जिनका कि वह सदस्य हो, अध्यक्षता करेगा।

(२) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उते, कार्यकारिणी समिति के नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, इस प्रयोजन के लिये आवश्यक शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(३) अध्यक्ष, परिषद् के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और परिषद् कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(४) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिषद् द्वारा उसे प्रदत्त की जायं।

(५) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को इस बात के लिये सशक्त कर सकेगा कि वह उसके (अध्यक्ष के) नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष की शक्तियों, कर्तव्यों या कृत्यों में से किसी एक या एक से अधिक शक्तियों का प्रयोग करे, अध्यक्ष को एक या एक से अधिक कर्तव्यों का पालन करे या उसके एक या एक से अधिक कृत्यों का निर्वहन करे।

(१) उपाध्यक्ष,—

- (क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का पालन करेगा, और
- (ख) प्रवक्ता प्राने पर किसी भी समय, अध्यक्ष द्वारा उपधारा (५) के अधीन उसे प्रत्यागोजित किये गये किसी भी कर्तव्य का पालन तथा प्रत्यागोजित की गई किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगा.

तीसरा अध्याय—परिषद् तथा उसकी समितियों के काम काज का संभालन

११. परिषद् अपने सम्मेलन करेगी और समय-समय पर अपने सम्मेलन के स्थान, दिन, समय, प्रबन्ध तथा स्थान के बारे में ऐसी व्यवस्था, जैसी कि वह उचित समझे, निर्दिष्टित उपबंधों के अधीन रहते हुए, करेगी. अर्थात्:—

(क) साधारण सम्मेलन सामान्यतः प्रत्येक छः मास में कम से कम एक बार होगा ;

(ख) अध्यक्ष, जब कभी वह उचित समझे, विशेष सम्मेलन बुला सकेगा तथा तत्समय परिषद् का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यादेश पर, विशेष सम्मेलन बुलायेगा ;

(ग) प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में किसी भी ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी जो सम्मेलन के लिये उपस्थित सदस्यों द्वारा उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिये चुना जाय ;

(घ) किसी भी सम्मेलन में समस्त प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय बहुमत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ;

(ङ) उपस्थित सदस्यों के नाम और प्रत्येक सदस्य के कार्यवाहियों का कार्यवृत्त इस प्रयोजन के निर्देशित की गयी वाली पुस्तक में अभिलिखित किया जायेगा ;

(च) कार्यवृत्त निर्धारित परिषद् द्वारा सम्मेलन में या ठीक आगामी सम्मेलन में किया जायेगा और उस पर अध्यक्ष द्वारा या उस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा इसकी एक प्रतिलिपि प्रत्येक दिन से पन्द्रह दिन के भीतर, राज्य सरकार को या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी को अर्पित की जायेगी जिसे राज्य सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे. (१) उपाध्यक्ष

१२. (१) विशेष सम्मेलन के लिये गणपति तथा सहस्रसौ प्रोत्सव गणपति और साधारण सम्मेलन के लिये गणपति चार सदस्यों से होगी.

(२) यदि परिषद् के किसी विशेष या साधारण सम्मेलन में गणपूर्ति न हो तो अध्यक्ष सम्मेलन को उतने समय के लिये या ऐसे अन्य दिन के लिये जैसा कि वह उचित समझे, स्वगित कर देगा और वह कामकाज को मूल सम्मेलन के समस्त कार्यों गणपूर्ति होने की दशा में लाया जाता, स्थानत सम्मेलन के समस्त कार्यों तथा उसमें सम्पादित किया जायगा चाहे उसमें गणपूर्ति हो या न हो।

समितियों के सम्मेलन.

१३. (१) धारा ६ के अधीन गठित समितियों प्रांत में प्रायश्चयानुसार, कितनी ही बार किन्तु कम से कम दो बार ऐसे समय प्रांत भ्रमण पर, जो कि परिषद् द्वारा नियत किया जाय, सम्मेलन करेंगी।

(२) जब तक कि नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाय, समिति के कुछ सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से गणपूर्ति होगी और समिति के समस्त कार्य उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

परिषद् तथा उसकी समितियों में होने वाली रिक्तियों से कार्यों, आदि का अविधिवत् न होना।

१४. परिषद् या उसकी किसी समिति के किसी भी कार्य या कार्यवाही को केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायगा कि कयास्थिति निर्णय या निर्णय में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

सदस्यों के लिये पारिश्रमिक का प्रति-वेध.

१५. परिषद् द्वारा किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक या भत्ता, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुरार ही दिया जायगा अन्यथा नहीं।

चौथा अध्याय—परिषद् निधि, बजट तथा संपरीक्षा

परिषद् निधि का गठन.

१६. (१) एक निधि स्थापित की जायगी जो परिषद् निधि कहलाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे:—

- (क) इस अधिनियम के अधीन किये गये रजिस्ट्रीकरणों के संबंध में संग्रहीत समस्त फीस;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं के संबंध में संग्रहीत समस्त फीस;
- (ग) कोई भी अन्य फीस जो परिषद् द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अधीन प्रभारित तथा संग्रहीत की जाय;
- (घ) कोई भी अनुदान या उधार जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये दिये जाय;
- (ङ) कोई भी अनुदान या उधार जो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम में प्रयोजन के लिये दिये जाय;
- (च) समस्त ऐसी राशियां जो परिषद् द्वारा संदान, न्यास, वसोयत या किसी अन्य अनुदान के रूप में प्राप्त की जायं।

(२) उपधारा (१) के अधीन स्थापित की गई परिषद् निधि उन समस्त व्ययों तथा दायित्वों की पूर्ति करने के लिये खर्च की जायगी जो कि परिषद् द्वारा इस

परिषद के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उचित रूप में उपगत किये गये हों।

(२) परिषद् निधि में जमा हुये मन्मथ धन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७०) की प्रथम अनुसूची के कानून २ में विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य बैंक में या किसी गृहकारी बैंक में जमा किये जायें और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा तथा ऐसी रीति में उनका उपयोग किया जायगा जैसा कि विहित किया जाय।

१७. (१) परिषद् के लेखों ऐसी तारीख के पूर्व तथा ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाये, तैयार किये जायें। लेखे तथा संपरीक्षा।

(२) परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा स्थानीय निधि लेखा संचालक द्वारा की जायेगी और वे मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४३ सन् १९७३) के उपबन्धों के अधीन होंगे।

(३) जैसे ही परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा हो जाये, परिषद् उनकी एक प्रतिनिधि उम पर स्थानीय निधि लेखा संचालक की रिपोर्ट की प्रतिलिपि के साथ, राज्य सरकार को ऐसे रीति में भेजेगी जो कि विहित की जाय।

१८. (१) रजिस्ट्रार ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाये, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में बजट तैयार करवायेगा जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियाँ तथा व्यय दर्शाये जायेंगे और उसे परिषद् के समक्ष ऐसे समय पर, तथा ऐसी रीति में रखवायेगा जैसा कि विहित किया जाये। बजट.

(२) उस सम्मेलन की, जिसमें बजट पारित किया गया हो, तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर वह (बजट) राज्य सरकार को या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, अर्पित किया जायेगा।

(३) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि इसको इस प्रकार अर्पित किये गये बजट के प्रावधान द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त नहीं है, तो वह (सरकार) बजट को, उसमें ऐसे उपान्तरण करने के लिये, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा सुझाये जायें, परिषद् को वापस कर देगी।

(४) परिषद्, इस बात के लिये सक्षम होगी कि वह ऐसी रकमों का, जो कि आवश्यक हों, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में और ऐसे शीर्षों या शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विन्ियोग करे।

(५) परिषद्, जैसा और जब अर्पित हो, अनुपूरक बजट, ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख तक, जो कि विहित की जाय, पारित कर सकेगी और उपधारा (२), (३) तथा (४) के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक बजट को लागू होंगे।

पांचवां अध्याय—परिषद् का रजिस्ट्रार तथा उसके अन्य कर्मचारी

१९. (१) परिषद् राज्य सरकार की पूर्ण मंजूरी से, एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी। रजिस्ट्रार परिषद् का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी सेवा के निबंधन तथा शर्तों जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण और अपील का अधिकार आते हैं, ऐसी होगी जो कि विहित की जाय : रजिस्ट्रार.

परन्तु रजिस्ट्रार का पद दो माह से अनधिक कालावधि के लिये रिक्त रहने की दशा में, परिषद् किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकेगी।

(२) रजिस्ट्रार, परिषद् का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा और परिषद् के समस्त कर्मचारी उसके अधीनस्थ होंगे। यह परिषद् का, प्रत्येक वर्ष के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति का तथा समस्त प्रत्येक समितियों का, उस समिति को छोड़कर जिसमें रजिस्ट्रार के आचरण के संबंध में जांच की जा रही हो, सचिव होगा।

परिषद् के प्रत्येक कर्मचारी.

२०. परिषद् ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी जिन्हें कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के बख्श पालन के लिये आवश्यक समझे और कर्मचारियों की संख्या तथा उनके प्रवर्ग और उनकी सेवा के निबंधन तथा शक्त ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाय।

अठवां अध्याय—रजिस्ट्रीकरण

होमियोपैथी का राज्य रजिस्ट्रार.

२१. (१) परिषद् होमियोपैथी के व्यवसायियों का एक रजिस्ट्रार जो होमियोपैथी के राज्य रजिस्ट्रार के नाम से जाना जाएगा, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विधिबद्धता अन्तर्गुह्य करत हूये, जो कि विहित की जाय, विहित रीति में, रखवायेगी।

(२) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के तथा परिषद् द्वारा दिये गये किसी भी आदेश के उपबन्धों के अनुसार राज्य रजिस्ट्रार को बनाये रखे और समय-समय पर उस रजिस्ट्रार को पुनरीक्षित करे तथा उसे राजपत्र में एवं ऐसी अन्य रीति में प्रकाशित करे जैसी कि विहित की जाय।

(३) ऐसा रजिस्ट्रार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (क्रमांक १ सन् १८७२) के अर्थ के अन्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जायगा और राजपत्र में प्रकाशित की गई प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जा सकेगा।

रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार व्यक्ति.

२२. (१) प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुसूची में वर्णित मान्य अर्हता रखता हो, किसी भी समय रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में आवेदन करने पर और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो कि विहित की जाय, अपना नाम रजिस्ट्रार में प्रविष्ट करवाने का हकदार होगा।

(२) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम, जो निरसित एक के अधीन तैयार किये गये रजिस्ट्रार में १५ सितम्बर, सन् १९७५ के ठीक पूर्ववर्ती दिन को दर्ज था, इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले रजिस्ट्रार में, ऐसे व्यक्ति से आवेदन करने की या किसी फीस का संदाय करने की अपेक्षा किये बिना ही, प्रविष्ट किया जायेगा:

परन्तु ऐसा व्यक्ति ऐसी फीस का संदाय ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाय, १५ सितम्बर, सन् १९७५ से दो वर्ष की कालावधि के भीतर करेगा और ऐसा करने में उसके द्वारा चूक करने पर उसका नाम रजिस्ट्रार से हटा दिया जायगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे प्ररूप में, ऐसी और कालावधि के भीतर आवेदन करने पर तथा ऐसी अतिरिक्त फीस का संदाय करने पर, जैसा कि विहित किया जाय, रजिस्ट्रार में पुनः प्रविष्ट किया जायगा :

परन्तु यह और भी कि पुनः प्रविष्ट के लिये कोई भी आवेदन, पूर्ववर्ती परन्तु के अधीन विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायगा, किन्तु इससे आवेदन के इस धारा के अधीन नवीन रूप से रजिस्ट्रीकरण कराने के अधिकार पर प्रतिफल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र विहित प्रारूप में दिया जायगा। ऐसे प्रमाणपत्र को को जाने, विकल्पित हो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में, उसकी दुरुस्ती या नया प्रमाणपत्र प्रदान करने पर जारी की जायगी और इस प्रकार जारी किये गये प्रमाणपत्र पर 'दुबारी प्रति' प्रकट किया जायगा।

23. यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम राज्य रजिस्टर में दर्ज किया जा चुका हो। होमियोपैथी में कोई पदवी, उपाधि, उपाधि पत्र या अन्य ग्रहंता अभिप्राप्त कर ले, तो वह इस संबंध में आनंदन करने पर नया पाठ्य कार्य फीस का संदाय करने पर, रजिस्टर में अपने नाम को सामने, या तो पूर्व में की गई किसी प्रविष्टि के स्थान पर या उसके प्रतिरिक्त, ऐसी प्रविष्टि कराने का हकदार होगा जिसमें ऐसी अन्य पदवी, उपाधि, उपाधि पत्र या अन्य ग्रहंता दायित की जायगी।

रजिस्टर में प्रति-
रिक्त ग्रहंता की
प्रविष्टि।

24. उस व्यक्ति का, जिसने ग्रहंता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, उसके द्वारा इस संबंध में आनंदन करने पर, रजिस्टर में अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकरण किया जायगा जिससे कि वह,—

चिकित्सीय व्यवसाय
के लिये अस्थायी
रजिस्ट्रीकरण।

(क) उस दशा में जब कि मान्य ग्रहंता अभिप्राप्त करने के लिये पाठ्यक्रम में, उसको ऐसी ग्रहंता प्रदान की जाने के पूर्व, प्रशिक्षण प्राप्त करने की कोई कालावधि सम्मिलित हो, तो किसी अनु-मोदित संस्था में चिकित्सा का व्यवसाय कर सके;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिषद् द्वारा किये जाने वाले दीक्षांत-समारोह में, उसे मान्य ग्रहंता प्रदान की जाने तक चिकित्सा का व्यवसाय कर सके।

25. (1) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, ऐसे सम्पत्क जांच के पश्चात् जो कि परिषद् द्वारा विहित रीति में की गई हो, किसी अवचार का दोषी पाया जाय तो परिषद्,—

रजिस्टर से नाम का
हटाया जाना।

(क) ऐसे व्यवसायी को संबोधित करते हुए चेतावनी का पत्र जारी कर सकेगी; या

(ख) यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे व्यवसायी का नाम,—

(एक) रजिस्टर से ऐसी कालावधि के लिये हटा दिया जाय जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, या

(दो) रजिस्टर से स्थायी रूप से हटा दिया जाय।

पंजीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये अवचार से अभिप्रेत है—

(एक) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाना जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्नलित हो और जो व्यवसाय प्रक्रिया संहिता, 1963 (क्रमांक 2 सन् 1964) के धारा के अन्तर्गत संश्लेष हो;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में गृहित आचरण अर्थात् वह व्यक्ति का प्रवचन जो होमियोपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४९ सन् १९७३) की धारा २४ की उपधारा (२) के अधीन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है.

(२) परिषद्, पर्याप्त हेतुक दर्शाये जाने पर, किसी भी समय वह निदेश दे सकेगी कि इस प्रकार से हटाया गया व्यवसायी का नाम, ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी प्रतिरिक्त फीस का संदाय करने पर, जो कि परिषद् अधिरोपित करे, रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किया जाय.

(३) परिषद् स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सम्यक् तथा उचित जांच करने के पश्चात् और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, रजिस्टर में की किसी भी प्रविष्टि को रद्द कर सकेगी या उसमें परिवर्तन कर सकेगी, यदि परिषद् की यह राय हो कि ऐसी प्रविष्टि कपटपूर्वक या गलती से की गई थी.

(४) परिषद्, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सम्यक् और उचित जांच करने के पश्चात्, रजिस्टर से किसी भी व्यवसायी का नाम हटा सकेगी, यदि—

(क) उसकी मृत्यु हो गई हो;

(ख) उसने व्यवसाय करना छोड़ दिया हो;

(ग) उसने, इस कारण से कि वह होमियोपैथी से भिन्न किसी चिकित्सा-पद्धति का व्यवसायी है, होमियोपैथी का व्यवसाय करना छोड़ दिया हो.

(५) इस धारा के अधीन जांच करने में, यथास्थिति परिषद् या परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त की गई समिति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १९७२ (क्रमांक १ सन् १९७२) के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय समझी जायेगी, तथा वह लोक सेवक (जांच) अधिनियम, १९५० (क्रमांक ३७ सन् १९५०) के अधीन नियुक्त किये गये आयुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी, और ऐसी जांचें, जहां तक संभव हो, लोक सेवक (जांच) अधिनियम, १९५० (क्रमांक ३७ सन् १९५०) की धारा ३, ५ तथा ८ से २० तक के उपबंधों के अनुसार संचालित की जायेगी.

राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट किये गये नामों का प्रकाशन.

२६. (१) रजिस्ट्रार, प्रतिवर्ष और समय-समय पर, जैसा कि भवसर के अनुसार अपेक्षित हो, परिषद् द्वारा इस संबंध में नियत की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट किये गये नामों की पूर्ण या अनुपूरक सूची, राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति में, जैसी कि परिषद् उपबंधित करे, प्रकाशित करवायेगा तथा उसमें—

(क) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जिसका कि नाम राजपत्र में प्रविष्ट है, रजिस्ट्रारिक पता और इसके द्वारा धारित पद या उसका वास्तविक नियोजन दिया जायेगा; और

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रजिस्ट्रारिक पदवियां, उपाधियां, उपाधि-पत्र तथा अन्य ग्रहंताएं और वह तारीख दी जायेगी जिसको कि ऐसी प्रत्येक पदवी, उपाधि या उपाधि-पत्र दिया गया हो या ऐसी शर्तों पर प्रेषित की गई हो।

परन्तु रजिस्ट्रार उन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के नाम समय-समय पर राजपत्र में प्रकाशित करवावेगा जिनके कि नाम इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के अधीन, राजपत्र में प्रकाशित रूप में हटा दिये गये हों।

(2) किसी भी कार्यवाही में यह उपधारणा कि किसी व्यक्ति को प्रविष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है, जो इस प्रकार सूची में प्रविष्ट न किया गया हो, रजिस्ट्रार को प्रमाणित नहीं करेगी।

परन्तु ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसका कि नाम, सूची के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात्, रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया हो, रजिस्ट्रार को ऐसे व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रतिलिपि इस बात की गारंटी होगी कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। ऐसा प्रमाणपत्र मुफ्त जारी किया जायगा।

सातवां अध्याय—रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के विशेषाधिकार

27. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते भी,—

(1) मध्यप्रदेश विधान मंडल के समस्त अधिनियमों में और मध्यप्रदेश में लागू हुए रूप में समस्त केंद्रीय अधिनियमों में, जहां तक कि ऐसे अधिनियम भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 में विनिर्दिष्ट किये गये विषयों में से किसी भी विषय से संबंधित हों, अभिव्यक्ति "वैध रूप से अहित चिकित्सा व्यवसायी" या "सम्यक् रूप से अहित चिकित्सा व्यवसायी" के अन्तर्गत या किसी अन्य शब्द या अभिव्यक्ति, जिससे इस अर्थ का द्योतन होता हो कि कोई व्यक्ति चिकित्सा व्यवसायी के रूप में या चिकित्सा वृत्ति के सदस्य के रूप में विधि द्वारा मान्य है, के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी आयेगा;

(2) कोई भी प्रमाण-पत्र, जो किसी चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सक अधिकारी से किसी अधिनियम या विधि का पालन करने वाले किसी नियम द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित हो,

रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के विशेषाधिकार.

उस दशा में विधि मान्य होगा जब कि ऐसा प्रमाण-पत्र किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा दिया गया हो;

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, किसी भी ऐसे होमियोपैथी शोधालय, चिकित्सालय, पागलखाने, रुग्णालय या प्रसूचालय में, जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा घोषित हो या उससे अनुदान प्राप्त कर रहा हो, या किसी ऐसी लोक या प्राइवेट स्थापना, निकाय या संस्था में, जिसमें ऐसी चिकित्सा पद्धति व्यवहृत होती हो, किसी वृत्तिक पद, उसका पदनाम चाहे जो भी हो, धारण करने के लिये पात्र होगा,

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, इस बात का हकदार होगा कि वह राज्य के भीतर चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करे और ऐसे व्यवसाय के संबंध में, शोधियों या अन्य साधियों

के बारे में, कोई व्यय या प्रभार, या कोई फीस, जिसका वह हकदार हो, विधि के सम्यक् अनुक्रम में वसूल करे;

- (५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को, यदि वह ऐसी याँछा करे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (क्रमांक २ सन् १९७४) के अधीन किसी मृत्यु-समीक्षा का कार्य करने से या जुरी सदस्य या प्रसेसर के रूप में कार्य करने से छूट दी जावगी.

इस प्राधनियम के
अधीन रजिस्ट्री-
कृत न किये गये
व्यवसायों द्वारा
व्यवसाय आदि करने
का प्रतिषेध.

२८. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

- (१) धारा २२ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये व्यवसायी से भिन्न कोई भी व्यक्ति, अभिलाभ के लिये चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा या प्रत्यक्षतः या विवक्षित तौर पर स्वयं को इस रूप में नहीं जतलावेगा कि वह अभिलाभ के लिये होमियोपैथी का व्यवसाय करता है या इस व्यवसाय को करने के लिये सक्षम है,

(२) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से भिन्न कोई भी व्यक्ति,—

- (क) किसी भी जन्म या मृत्यु प्रमाण-पत्र को, जिसके कि संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम द्वारा यह अपेक्षित हो कि वह सम्यक् रूप से अहित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत किया जाय, हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत नहीं करेगा;

- (ख) किसी भी चिकित्सीय या शारीरिक योग्यता के प्रमाण-पत्र को, जिसके कि संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम द्वारा यह अपेक्षित हो कि वह सम्यक् रूप से अहित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत किया जाय, हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत नहीं करेगा;

- (ग) किसी मृत्यु-समीक्षा में या किसी विधि न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १९७२ (क्रमांक १ सन् १९७२) की धारा ४५ के अधीन, चिकित्सा से संबंधित किसी विषय पर, विशेषज्ञ के रूप में साक्ष्य देने के लिये अहित नहीं होगा.

उपाधि या उपाधि-
पत्र का मिथ्या
ग्रहण अपराध
होगा.

२९. कोई भी व्यक्ति, यह लक्षित करते हुए कि वह मान्य अर्हता रखता है या वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है या उसका नाम धारा ५३ में निर्दिष्ट की गई सूची में प्रविष्ट है, किसी भी पदवी या लक्षण (डिस्क्रिप्शन) का, तब तक उपयोग नहीं करेगा या उसे अपने नाम के साथ नहीं जोड़ेगा. जब तक कि वह वास्तव में ऐसी उपाधि, उपाधि-पत्र, अनुज्ञप्ति या प्रमाण-पत्र धारण न करता हो या धारा २२ के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो या निरसित एक्ट की धारा १८ के अधीन रखी गई सूची में उसका नाम दर्ज न हो.

उपाधि, उपाधि-
पत्र, आदि के
अप्राधिकृत रूप
से प्रदान किये
जाने का प्रतिषेध.

३०. परिषद्, विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था से भिन्न कोई भी व्यक्ति, संघा या संस्था यह कथित या लक्षित करते हुए कि किसी उपाधि, उपाधि-पत्र, अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र, या किसी अन्य दस्तावेज का धारक, प्राप्तकर्ता या ग्रहीता होमियोपैथी का व्यवसाय करने के लिये अहित है, कोई भी उपाधि या उपाधि-पत्र प्रदान नहीं करेगा या कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं करेगा या कोई प्रमाण-पत्र या अन्य कोई दस्तावेज जारी नहीं करेगा.

२१. वह फीस, जो इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों द्वारा या उनके अधीन संदाय की जाने के लिये अपेक्षित हो, वापस नहीं की जायेगी।

फीस का वापस न किया जाना।

**आठवां अध्याय—होमियोपैथी की शिक्षा, परीक्षाओं का संचालन
अध्ययन-पाठ्यक्रम तथा संस्थाओं को मान्यता**

३२. (१) परिषद्, विनियमों द्वारा, उत्तके द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिये, ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हताओं के लिये, ऐसी परीक्षाओं हेतु अध्ययन-पाठ्यक्रम के लिये, उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र या येन ही अन्य किसी पुरस्कार के लिये, जो कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को दिया जाना हो, परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु स्तरमान के लिये तथा ऐसी परीक्षाओं के संबंध में ऐसी अन्य बातों के लिये जो कि आवश्यक हों, उपबंध करेगी और ऐसा प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यक संस्थाओं की स्थापना कर सकेगी।

परिषद् द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं तथा अध्ययन-पाठ्यक्रम और होमियोपैथी में संबंधिता।

(२) परिषद् स्वयं या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सहायता से होमियोपैथी में गवेषणा संस्था की स्थापना कर सकेगी।

३३. (१) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था परिषद् की उन परीक्षाओं के लिये, जिनके कि लिये उस संस्था को मान्यता दी गई हो, विद्यार्थियों को तैयार करने के लिये हकदार होगी।

संस्थाओं की मान्यता।

(२) कोई भी संस्था, जो इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त करने की वांछा करती हो, रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप तथा रीति में और ऐसी फीस के साथ जैसा कि परिषद् विनियमों द्वारा उपबंधित करें, आवेदन भेजेगी।

(३) रजिस्ट्रार आवेदन को परिषद् के समक्ष रखेगा और परिषद् ऐसी जांच करने के पश्चात् जो कि वह आवश्यक समझे, मान्यता दे सकेगी या मान्यता देने से इन्कार कर सकेगी या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए मान्यता दे सकेगी जैसी कि वह उचित समझे :

परन्तु मान्यता तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि—

(क) आवेदक ने मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ३९ सन् १९७३) के उपबंधों का अनुपालन न किया हो और उसे चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थापित करने तथा प्रशासित करने या चलाने की अनुज्ञा न दे दी गई हो।

(ख) होमियोपैथी में शिक्षा के न्यूनतम स्तरमानों को, यदि कोई हो, जो होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ५९ सन् १९७३) की धारा २० के अधीन विहित किये गये हों, पूरा न कर लिया हो।

३४. परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि शिक्षा में प्रवीणता का यथेष्ट स्तर बना रहे और ऐसा स्तर प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये, परिषद् को यह प्राधिकार होगा कि वह परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी

स्तर को बनाये रखना।

संस्था के का निगी ऐसी संस्था के, जिसने मान्यता हेतु आवेदन किया हो, प्राध्यापकों में या उच्च शिक्षा विभाग में यह अपेक्षा करे कि वह—

- (क) परिपदों द्वारा विहित किसी अध्ययन-पाठ्यक्रम के बारे में या, ऐसी संस्था द्वारा ली गई किसी परीक्षा के बारे में ऐसी विशिष्टियाँ ऐसी कानूनविधि के भीतर दे जैसा कि परिषद् द्वारा अपेक्षित किया जाय;
- (ख) परिषद् को, महाविद्यालय तथा उसके शासी निकाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी दे; और
- (ग) परिषद् या होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किये गये परिदर्शक या निरीक्षक या किसी सदस्य को संस्था का तथा उससे संबद्ध चिकित्सालयों का निरीक्षण करने दे और संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं में या किसी परीक्षा में हाजिर रहने दे.

परिदर्शकों, निरीक्षकों तथा परिदर्शक समितियों की नियुक्ति.

३५. (१) परिषद्, विनियम में उपबंधित किये गये अनुसार, चिकित्सीय संस्थाओं का निरीक्षण करे तथा उनके कार्यकरण के संबंध में रिपोर्टें देने हेतु परिदर्शकों की तथा ऐसी परिदर्शक समितियों की नियुक्ति कर सकेगी जो परिषद् के स्वयं के सदस्यों से या बाहरी व्यक्तियों से, या दोनों से, मिलकर बनेगी. परिदर्शक या परिदर्शक समिति के सदस्य, व्ययों के भाग के रूप में चुकाया जाने वाला ऐसा पारिभ्रमिक प्राप्त करेंगे जो कि विहित किया जाय.

(२) परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, इतनी संख्या में तथा ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी जैसा कि विहित किया जाय.

(३) ऐसे निरीक्षक, परिषद् द्वारा स्थापित या मान्य की गई संस्थाओं का निरीक्षण, परिषद् द्वारा समय-समय पर दिये गये साधारण या विशेष निर्देशों के अनुसार करेंगे, तथा ऐसी संस्थाओं में ली गई किसी भी परीक्षा के समय हाजिर रहें और शिक्षा के स्तर की, जिसके अन्तर्गत कर्मचारीतन्त्र, उपस्कर, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाएं आती हैं, यथेष्टता के बारे में या ऐसी प्रत्येक परीक्षा, जिसमें कि वे हाजिर रहे हों, की पर्याप्तता के बारे में अपने संश्लेषणों से तथा अपनी राय से परिषद् को सूचित करेंगे. तथापि, निरीक्षक या परिदर्शक प्रशिक्षण तथा परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे.

मान्यता का प्रत्याहरण.

३६. यदि परिषद् को, निरीक्षण की रिपोर्ट पर से या अन्यथा ऐसा प्रतीत हो कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था ने परिषद् की या होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् की अपेक्षाओं के अनुसार प्रशिक्षण का यथेष्ट स्तर नहीं बनाये रखा है, तो परिषद् ऐसी संस्था को दी गई मान्यता किसी भी समय प्रत्याहृत कर सकेगी :

परन्तु मान्यता संबंधी आदेश का प्रत्याहरण किया जाने के पूर्व संस्था को अपेक्षित स्तर प्राप्त करने के लिये युक्तियुक्त अवसर तथा समय दिया जायेगा.

छात्रवृत्ति, वृत्तिकाएं तथा पारितोषिक.

३७. (१) परिषद् मान्यता प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियों को, अपनी निधि में से छात्रवृत्ति, पारितोषिक तथा पदक प्रदान कर सकेगी.

(२) परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से,—

(क) निर्धन तथा योग्य विद्यार्थियों को वृत्तिकाएं मंजूर कर सकेगी

(ख) भारत में या भारत के बाहर स्थित किसी भी संस्था में, जिसे कि परिषद् उचित समझे, होमियोपैथी में गवेषणा के लिये तथा उच्चतर या विशेष अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां मंजूर कर सकेगी।

३८. (१) परिषद् उन व्यक्तियों को, जो परिषद् द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष दीक्षांत-समारोह में ली गई परीक्षा में सफल हुए हों, उपाधियां, उपाधि-पत्र तथा अन्य पुरस्कार देने के लिये प्रत्येक वर्ष में एक बार दीक्षांत-समारोह कर सकेगी।

किया जाना, सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना।

(२) परिषद्, ऐसे दीक्षान्त समारोह में ख्याति प्राप्त होमियोपैथी व्यवसायी को तथा प्रसाधारण कुशलता वाले अन्य ऐसे व्यक्तियों को सम्मानिक उपाधियां प्रदान कर सकेगी।

३९. परिषद्, उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये, उसके द्वारा विहित पाठ्य-पुस्तकों, आदि किये गये अध्ययन-पाठ्यक्रम हेतु पाठ्य-पुस्तकें तैयार कर सकेगी तथा उन्हें प्रकाशित कर सकेगी और परिषद् का जरनल प्रकाशित कर सकेगी।

नवां अध्याय—नियंत्रण

४०. (१) यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि परिषद् ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों में से किसी भी शक्ति का प्रयोग करने में चूक की है या उसका अतिरेक किया है या उसका दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त कर्तव्यों में से किसी भी कर्तव्य का पालन करने में चूक की है, तो राज्य सरकार, यदि वह ऐसी चूक अतिरेक या दुरुपयोग को गम्भीर स्वरूप का समझती है, परिषद् को उसकी विशिष्टियां अधिसूचित करेगी और यदि परिषद् ऐसे समय के भीतर जिसे कि राज्य सरकार इस संबंध में नियत करे, ऐसी चूक, अतिरेक या दुरुपयोग का उपचार करने में असफल रहे, तो राज्य सरकार परिषद् को पांच वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये, जो कि वह उचित समझे, विघटित कर सकेगी तथा नवीन परिषद् अस्तित्व में लाने की कार्यवाही करेगी।

राज्य सरकार का नियंत्रण।

(२) उपधारा (१) के अधीन परिषद् का विघटन होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(क) परिषद् के समस्त सदस्यों तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में यह समझा जायगा कि उन्होंने ऐसी परिषद् के विघटन की तारीख से अपने पद रिक्त कर दिये हैं;

(ख) इस अधिनियम के अधीन परिषद् की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा समस्त कर्तव्यों का पालन, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रशासक कहलाये जाने वाले ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायगा जिसे कि राज्य सरकार, इस संबंध में, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे;

(ग) परिषद् के निहित समस्त संपत्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, प्रशासक में न्यासतः निहित हो जायगी।

(२) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक, राज्य सरकार द्वारा किया भी समय हुआ जा सकेगा और उसे (राज्य सरकार को) उस अधिकारी के स्थान पर दूसरा अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(४) उपधारा (२) के खण्ड (ग) के अधीन प्रशासक नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी, अपनी सेवाओं के लिये परिषद्-निधि से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय।

(५) प्रशासक उस तारीख से पद पर नहीं रहेंगा जो कि यथा पुनर्गठित परिषद् के प्रथम साधारण सम्मेलन के लिये नियत की गई हो।

(६) राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझे, तो उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक को सलाह तथा मार्गदर्शन देने के प्रयोजन के लिये सात से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की एक सलाहकार समिति नियुक्त कर सकेगी। समिति का प्रत्येक सदस्य ऐसी दर से मर्तु प्राप्त करेगा जिस दर से कि यत्ने परिषद् के सदस्य को वेय होते हैं।

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष
जानकारी प्रस्तुत
करेंगे।

४१. (१) परिषद् अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसे,—

(क) परिषद् के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले के बारे में कोई विवरणियां, आंकड़े या कोई अन्य जानकारी दे;

(ख) किसी भी ऐसे मामले के संबंध में रिपोर्ट या स्पष्टीकरण दे;

(ग) किसी ऐसे अभिलेख पत्र-व्यवहार, योजना या किन्हीं अन्य ऐसे दस्तावेजों की प्रतिलिपि दें जो कि अध्यक्ष के नाते उसके कब्जे या नियंत्रण में हों या जो परिषद् के किसी सेवक के कार्यालय में अधिलिखित या फाइल किये गये हों।

(२) अध्यक्ष, उपधारा (१) के अधीन की गई प्रत्येक अपेक्षा का अनुपालन बिना किसी अनुचित विलम्ब के करेगा।

परिषद् के आदेश,
आदि के निष्पादन
को निलंबित करने
की शक्ति।

४२. यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि परिषद् के या परिषद् की समितियों में से किसी भी समिति के या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी के किसी आदेश का या संकल्प का निष्पादन किया जाना या किसी ऐसे कार्य का किया जाना, जो कि परिषद् द्वारा या उसकी ओर से किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो, विधि के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुरूप नहीं है या परिषद् के हितों के लिये या लोक हितों के लिये अपायकर है, तो वह (राज्य सरकार) लिखित आदेश द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश का निष्पादन निलंबित कर सकेगी या किसी भी ऐसे कार्य के किये जाने का प्रतिषेध कर सकेगी :

परन्तु किसी भी आदेश में, उस आदेश में, उस आदेश के विरुद्ध परिषद् को कारणदर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, फेरफार नहीं किया जायगा या उसे उलटाया नहीं जायगा।

दसवां अध्याय—प्रकीर्ण

४३. परिषद् के किसी भी सदस्य या अधिकारी या सेवक को, किसी भी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें कि परिषद् पक्षकार न हो, कोई रजिस्टर या दस्तावेज पेश करने या उसमें अभिलिखित बात को साबित करने के लिये साक्षी के रूप में उपसजात होने के लिये तब तक अपेक्षित नहीं किया जावेगा जब तक कि न्यायालय विशेष कारणों में ऐसा निदेश न दे.

दस्तावेज पेश करने के लिये परिषद् के सेवकों की समन करने पर निबन्धन.

४४. किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिये जो कि इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो. कोई भी दाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी.

इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का परिचालन.

४५. परिषद् का रजिस्ट्रार तथा कोई भी अन्य अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता, १९६० (क्रमांक ४५ सन् १९६०) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा.

परिषद् का रजिस्ट्रार तथा अन्य सेवक लोक सेवक होंगे.

४६. (१) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का न संज्ञान करेगा और न उसका विचारण करेगा.

अपराधों का संज्ञान.

(२) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे परिषद् साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत करे, की गई लिखित शिकायत पर ही करेगा अन्यथा नहीं.

४७. (१) किसी जांच में या सामान्यतया उद्भूत होने वाले विधि के प्रश्नों पर परिषद् को सलाह देने के प्रयोजन के लिये, परिषद् द्वारा असेसर की नियुक्ति की जा सकेगी जो एडवोकेट्स एक्ट, १९६१ (क्रमांक २५ सन् १९६१) के अधीन नामांकित किया गया अधिवक्ता होगा.

असेसर की नियुक्ति.

(२) इस धारा के अधीन किसी असेसर का या तो सामान्यतः या किसी विशिष्ट जांच या जांचों के वर्ग के लिये नियुक्त किया जा सकेगा और उसे ऐसा पारि-
त्रमिक संदाय किया जायेगा जो कि परिषद् द्वारा भवधारित किया जाये.

४८. (१) (क) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के प्रत्येक विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील परिषद् को होगी;

अपीलें.

(ख) उस विनिश्चय को छोड़कर जो कि खण्ड (क) के अधीन अपील में परिषद् द्वारा किया गया हो, इस अधिनियम के अधीन परिषद् के प्रत्येक विनिश्चय के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को होगी.

(२) प्रत्येक अपील, ऐसी कालावधि के भीतर ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ की जायेगी जैसा कि विहित किया जाये.

(३) अपील में, यथास्थिति, परिषद् या राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

४९. (१) भारत में या भारत के बाहर स्थित कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य ऐसी चिकित्सीय संस्था, जो होमियोपैथी में ऐसी चिकित्सीय अर्हताएं प्रदान करती हों जो कि अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ऐसी अर्हताओं को मान्यता प्राप्त

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.

कराने हेतु राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगी और राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, अनुमोची को इस प्रकार संशोधित करेगी कि जिससे ऐसी अर्हता उस अनुमोची में सम्मिलित हो जाये, और ऐसी अधिसूचना में यह निदेश भी दिया जा सकेगा कि ऐसी अर्हता मान्य अर्हता होगी जबकि वह विनिर्दिष्ट की गई तारीख के पश्चात् प्रदान की जाये।

~~राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगी और राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, अनुमोची को इस प्रकार संशोधित करेगी कि जिससे ऐसी अर्हता उस अनुमोची में सम्मिलित हो जाये, और ऐसी अधिसूचना में यह निदेश भी दिया जा सकेगा कि ऐसी अर्हता मान्य अर्हता होगी जबकि वह विनिर्दिष्ट की गई तारीख के पश्चात् प्रदान की जाये।~~

शास्ति.

५०. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का या उसके अधीन बनाये गये नियमों में से किसी भी नियम का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो प्रथम बार दोषसिद्ध ठहराये जाने पर एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई संथा हो, तो ऐसी संथा का प्रत्येक सदस्य जो जानते हुये या जानबूझकर ऐसा उल्लंघन प्राधिकृत करेगा या उसके लिये अनुज्ञा देगा, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो प्रथम बार दोष सिद्ध ठहराये जाने पर एक हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा प्रत्येक पश्चात्पूर्व दोषसिद्ध के लिये दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

ग्यारहवां अध्याय—नियम तथा विनियम

नियम बनाने की शक्ति.

५१. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(२) विशिष्टतः तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन परिषद् के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की रीति;
- (ख) धारा ४ के अधीन सदस्य के निर्वाचन का ढंग;
- (ग) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का त्यागपत्र;
- (घ) धारा ८ के प्रयोजनों के लिये सम्मिलन करने की रीति;
- (ङ) परिषद् तथा उसकी समितियों के सम्मिलनों का समन किया जाना तथा किया जाना, समय तथा स्थान जहाँ कि ऐसे सम्मिलन किये जाने हों, उनमें किये जाने वाले कामकाज का संचालन तथा उनमें की गई कार्यवाहियों के कार्यवृत्त का रखा जाना और समितियों के सम्मिलनों में गणपूर्ति करने के लिये आवश्यक सदस्य संख्या;
- (च) धारा १५ के अधीन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को दिया जाने वाला पारिश्रमिक या भत्ता;

(क) (एक) तारीख जिसके पूर्व, अन्तर्गत जिन पर तथा रीति जिसमें, परिषदों के संघे धारा 23 की उपधारा (9) के अधीन तैयार किये जायेंगे.

(दो) रीति जिसमें संपरीक्षण सेवाओं की प्रतिलिपि, धारा 93 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी;

(ज) (एक) प्रकृत जिसमें धारा 94 की उपधारा (9) के अधीन बजट तैयार किया जायगा, और समय, जब तथा रीति जिसमें वह बजट परिषद के समक्ष रखा जायगा;

(दो) प्रकृत जिसमें तथा तारीख जिस तक धारा 94 की उपधारा (4) के अधीन अनुपूरक प्रकृत तैयार किया जायगा;

(झ) धारा 95 के अधीन रजिस्ट्रार का कार्ड, उसकी अर्हतायें, उसका वेतन तथा उसे और अन्य निबन्धन तथा शर्तें एवं अनुशासनिक नियंत्रण और अपील करने का अधिकार;

(ञ) परिषद के ऐसे अधिकारियों तथा नौकरों की, जो रजिस्ट्रार से भिन्न हों, संथा, उनका कार्ड, उनकी अर्हतायें, उनकी रती, उनके वेतन, उनके भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें, जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण और अपील का अधिकार आता है, जो कि धारा 20 के अधीन विहित की जाती है;

~~(3) (एक) धारा 21 की उपधारा (9) के अधीन~~

~~(दो) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन~~

(3) (एक) धारा 22 की उपधारा (9) के अधीन

(दो) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन

(तीन) धारा 22 की उपधारा (9) के अधीन

(4) रीति जिसमें धारा 25 की उपधारा (9) के अधीन जांच की जायगी;

(5) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले निरीक्षकों की संख्या, उनका कार्ड, उनकी अर्हतायें, उनकी भरती, उनका वेतन, उनके भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण और अपील का अधिकार आता है;

~~(6) धारा 26 की उपधारा (9) के अधीन~~

(7) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन

विनियम बनाने
की शक्ति.

५२. (१) परिषद् साधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन करने के लिये राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विनियम बना सकेगी तथा ऐसे विनियमों में, इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेंगे:—

- (क) परिषद् की कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियों के लिये सदस्यों का निर्वाचन;
- (ख) कार्यकारिणी समिति की शक्तियां तथा उसके कर्तव्य.
- (ग) परिषद् की शक्तियां तथा उसके कर्तव्य जो धारा १० के अधीन अध्यक्ष को प्रदत्त की जानी हों तथा उस पर अधिरोपित नियम जनि हों;
- (घ) रीति, जिसमें धारा २६ के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की सूची प्रकाशित की जायगी;
- (ङ) धारा ३२ के अधीन प्रशिक्षण तथा भर्तक परीक्षाओं के लिये अध्ययन-पाठ्यक्रम और ऐसी परीक्षा में संस्था के विद्यार्थियों के प्रवेश की शर्तें तथा परीक्षा;
- (च) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें तथा परीक्षाओं के संचालन से संबंधित समस्त विषय जिनके अन्तर्गत पारिश्रमिक तथा अन्य व्यय आते हैं;
- (छ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों की संख्या, अर्हताएं तथा उनकी उपलब्धियां और प्रत्येक संस्था में अध्ययन-पाठ्यक्रमों के लिये प्रभास्ति की जाने वाली फीस;
- (ज) संस्थाओं को मान्यता देने की शर्तें और ऐसी संस्थाओं में शिक्षा के स्तर को बनाये रखना;
- (झ) शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, वृत्तकार्य, छात्रवृत्तियां, पारितोषिक तथा पदक मंजूर किये जायेंगे;
- (ञ) कोई भी विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन उपबन्ध विनियम द्वारा किया जाय.

(२) राज्य सरकार विनियमों को प्रकृति से मंजूरी के लिये प्राप्त हो जाय, ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए, जिनमें समाप्त धारा ३२ के अधीन प्रवेश मोड़ पाये विद्यार्थी करने के लिये अर्हताएं परीक्षा को किया जाय.

(३) राज्य सरकार विनियमों को प्रकृति से मंजूरी के लिये प्राप्त हो जाय.

(४) राज्य सरकार विनियमों को प्रकृति से मंजूरी के लिये प्राप्त हो जाय.

बारहवां अध्याय—व्यावृति

व्यावृति

५३. मध्य प्रदेश होमियोपैथिक एन्ड बायोकेमिक प्रैक्टिशनर्स एक्ट, १९५१ (क्रमांक २६ सन् १९५१) का निरसन हो जाने पर भी, उन व्यक्तियों को, जिनके कि

नाम निरसित एक्ट की धारा १० के अधीन रखी गई सूची में दर्ज है। राज्य में होमियोपैथी चिकित्सा व्यवसाय करने के संबंध में वे ही अधिकार प्राप्त रहेंगे जो कि उन्हें निरसित एक्ट के अधीन प्राप्त थे।

तेरहवां अध्याय—अस्थायी उपबंध

५४. परिषद्, निर्गमन एक्ट के अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों में, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे उपान्तरण कर सकेगी जिन्हें कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये उचित समझे और उक्त प्रकार उपान्तरित किये गये नियम या विनियम तब तक प्रयुक्त बने रहेंगे जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा निरस्त न कर दिये जायें।

५५. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशाली करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार, ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी।

५६. मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अध्यादेश, १९७५ (क्रमांक १३ सन् १९७५) एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

अनुसूची

(धारा २२ देखिये)

होमियोपैथी में मान्य चिकित्सीय ग्रहंताएं, जो भारत में तथा भारत के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों, परिषदों, बोर्डों या चिकित्सीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई हैं।

विश्वविद्यालय, कोर्ट, परिषद्, बोर्ड या चिकित्सा संस्था का नाम	मान्य चिकित्सीय ग्रहंता	रजिस्ट्रीकरण के लिये संक्षेपाक्षर	टिप्पणियाँ
(१)	(२)	(३)	(४)

ग्रान्ध प्रदेश

- ग्रान्ध प्राविन्शियल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, गुडीवाड़ा। डिप्लोमा इन होमियोपैथिक मेडिसिन। डी. एच. एम. अप्रैल सन् १९४९ मार्च सन् १९९९ तक
- डा. पुरुराजु गवर्नमेन्ट होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, गुडीवाड़ा। डिप्लोमा इन होमियोपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी। डी. एच. एम. एस. अप्रैल सन् १९७० से आगे।

(१)	(२)	(३)	(४)
२. बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, हैदराबाद.	डिप्लोमा इन होमियो-पैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी.	डॉ. एच. एम. एस.	अक्टूबर १९७१ से

बिहार

४. बिहार स्टेट बोर्ड आफ होमियो-पैथिक मेडिसिन.	डिप्लोमा इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी.	डॉ. एम. एस.	सन् १९६१ से
	डिप्लोमा इन होमियो-पैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी.	डॉ. एच. एम. एस.	सन् १९७१ से

दिल्ली

५. बोर्ड आफ होमियोपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन, दिल्ली.	डिप्लोमा इन होमियो-पैथिक साइन्स.	डॉ. एच. एस.	सन् १९६५ से १९७०-७१ तक.
	डिप्लोमा इन होमियो-पैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी.	डॉ. एच. एम. एस.	सन् १९७१ से आगे.

कर्नाटक

१. दि होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, बेलगांव.	लाइसेन्सिएट आफ दि कोर्ट आफ एग्जामिनर्स इन होमियो-पैथी.	एन. सी. ई. एच.	जून सन् १९७१ से दिसम्बर १९७१ तक.
--	--	----------------	----------------------------------

७. कोर्ट आफ एग्जामिनर्स इन होमियोपैथिक एज्युकेशन, बंगलोर.	लाइसेन्सिएट आफ दि कोर्ट आफ एग्जामिनर्स इन होमियो-पैथी.	एन. सी. ई. एच.	जनवरी सन् १९७१ से.
---	--	----------------	--------------------

प्रेज्यूएन्स आफ दि कोर्ट आफ एग्जामिनर्स इन होमियोपैथी.	जी. सी. ई. एच.	जनवरी सन् १९७३ से.
--	----------------	--------------------

केरल

८. रायल कालेज आफ होमियो-पैथिक फिजीशियन्स, अर्नाकुलम.	लाइसेन्सिएट आफ रायल कालेज आफ होमियोपैथिक फिजीशियन्स.	एल. आर. सी. एच. पी.	सन् १९६६-६७ तक.
--	--	---------------------	-----------------

(१)	(२)	(३)	(४)
-----	-----	-----	-----

९. बोर्ड आफ एग्जामिनर्स इन होमियोपैथी, गवर्नमेन्ट आफ केरल. डिप्लोमा इन होमियोपैथिक मेडिसिन. डी. एच. एम. सन् १९६२ से आगे.

मध्यप्रदेश

१०. दी बोर्ड आफ होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिक सिस्टम्स आफ मेडिसिन, मध्यप्रदेश. डिप्लोमा इन होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिस्ट्री. डी. एच. बी. सन् १९५५ से आगे.

महाराष्ट्र

११. दि कोर्ट आफ एग्जामिनर्स आफ होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिक सिस्टम्स आफ मेडिसिन, बम्बई. लाइसेन्सिएट आफ दि कोर्ट आफ एग्जामिनर्स इन होमियोपैथी. एल. सी. ई. एच. दिसम्बर सन् १९६१ से आगे.

- डिप्लोमा इन होमियोपैथी एण्ड बायोकेमिस्ट्री. डी. एच. बी. प्रक्टिसर सन् १९५५ से आगे.

१२. कोर्ट आफ एग्जामिनर्स इन होमियोपैथी. फेलो आफ दि कोर्ट आफ एग्जामिनर्स इन होमियोपैथी. एफ. सी. ई. एच. केवल मई सन् १९५८ में.

१३. विदर्भ बोर्ड आफ होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिक सिस्टम्स आफ मेडिसिन, नागपुर. डिप्लोमा इन होमियोपैथी एण्ड बायोकेमिस्ट्री. डी. एच. बी. १-११-५६ से.

उड़ीसा

१४. उड़ीसा बोर्ड आफ होमियोपैथिक मेडिसिन, भुवनेश्वर. डिप्लोमा इन होमियोपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी. डी. एच. एम. एस. सन् १९७२ से आगे.

उत्तर प्रदेश

१५. स्टेट बोर्ड आफ होमियोपैथिक मेडिसिन उत्तरप्रदेश, लखनऊ. ग्रेज्युएट आफ होमियोपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी. जी. एच. एम. एस. सन् १९६१ १९६३ तक.

- बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड सर्जरी. बी. एम. एस. सन् १९५८ से १९६० तक तथा सन् १९७० से आगे.

- सर्टिफिकेट आफ होमियोपैथिक प्रैक्टिस. सी. एच. पी.

(१)	(२)	(३)	(४)
१६. प्रायग पब्लिशिंगी, प्रायग	डिप्लोमा इन होमियोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी.	डी. एम. एम. एम.	सन् १९६५ से १९६७ तक.
१७. कानपुर पब्लिशिंगी, कानपुर	डिप्लोमा इन होमियोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी.	डी. एम. एम. एम.	सन् १९६७ से १९६७ तक.
१८. नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज, लखनऊ.		एन. एल. एम. एल. एच. एम. डी. एच. एम. बी. बी. एम. एन. एच. एम. बी.	सन् १९२३ से १९२५ तक. सन् १९२५ से १९४२ तक. सन् १९२४ से १९४६ तक. सन् १९५० से १९५७ तक. सन् १९३१ से १९३६ तक.
२०. दि सुपीरियर इंडिपेन्डेंट इंस्टी-ट्यूट आफ एप्लाइड साइंस, लखनऊ.		एम. डी. एच.	सन् १९१६ से १९४० तक.

पश्चिमी बंगाल

२१. दि कोन्वेल्ट आफ होमियोपैथिक मेडिसिन वेस्ट बंगाल.	डिप्लोमा इन मेडिसिन एंड सर्जरी.	डी. एम. एम.	सन् १९६५ से १९६५ तक.
२२. जनरल कॉन्वेल्ट एण्ड स्टेट फकल्टी आफ होमियोपैथिक मेडिसिन, वेस्ट बंगाल	डिप्लोमा इन मेडिसिन एंड सर्जरी.	डी. एम. एम.	सन् १९४३ से १९६४ तक.
२३. कलकत्ता होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता.	बैचलर आफ होमियोपैथिक मेडिसिन.	एच. एम. बी.	सन् १९३६ तक.
	बैचलर आफ मेडिसिन एंड बैचलर आफ सर्जरी.	बी. एम. बी. एम.	सन् १९३६ से १९४२ तक.
२४. बैंगाल एलेन होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता.	बैचलर आफ होमियोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी.	बी. एच. एम. एल.	सन् १९४२ तक.

	(२)	(३)	(४)
	मास्टर आफ होमियो- पैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी.	एम.एच.एम.एम	सन् १९४२ तक
	लाइसेन्सियेट इन होमियोपैथिक मेडि- सिन एण्ड सर्जरी.	एम.एच.एम.एम	सन् १९४२ तक
२५. डब्ल्यू. हॉमियोपैथिक मेडिकल कालेज, कलकत्ता.	मन्वर आफ डब्ल्यू. कालेज आफ होमियोपैथी.	एम.डी.सी.एम.	सन् १९४२ तक
२६. प्राशुतोप होमियोपैथिक मेडि- कल कालेज, कलकत्ता.	प्रेक्टिसनर आफ रेशनल सिस्टम आफ मेडि- सिन.	पी.आर.एस.एम.	सन् १९४२ तक
	प्रेक्टिसनर आफ हीलिंग आर्ट.	पी. एच. ए.	सन् १९४२ तक
२७. डी.ए. होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, कलकत्ता.	लाइसेन्सियेट आफ दि रेशनल होमियोपैथिक सोसायटी.	एल.आर.एच.एस.	सन् १९४२ तक
२८. रेगुलर होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, कलकत्ता.	लाइसेन्सियेट इन होमि- पैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी.	एच.एल.एम.एस.	सन् १९४२ तक
२९. नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, कलकत्ता.	लाइसेन्सियेट इन मेडि- सिन एण्ड सर्जरी इन होमियोपैथी.	एच. एल. एम. एस.	१९४२ तक.
३०. सेन्ट्रल होमियोपैथिक कालेज, कलकत्ता.		एच. एल. एम. एस.	१९९०
		एच. एम. बी.	१९९०
३१. बंगाल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, कलकत्ता.	बैचलर आफ होमियो- पैथिक मेडिसिन.	एच. एम. बी.	सन् १९४२ तक

भारत के बाहर की चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई प्रहताएं

- १. फैंकल्टी आफ होमियोपैथी, लन्दन. डिप्लोमा आफ दि फैंकल्टी आफ होमियोपैथी. डी. एफ. होमि.
- २. फैंकल्टी आफ होमियोपैथी, लंदन. मेम्बर आफ दि फैंकल्टी आफ होमियोपैथी. एम. एफ. होमि.
- ३. फैंकल्टी आफ होमियोपैथी, लंदन. फेलो आफ दि फैंकल्टी आफ होमियोपैथी. एफ. एफ. होमि.

भोपाल, दिनांक १५ मार्च १९७६.

क्र. ९११८-इकॉस-अ(सा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, १९७६ (क्रमांक १९ सन् १९७६) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दि. मा. आगनण, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 19 of 1975

THE MADHYA PRADESH HOMOEOPATHY PARISHAD
ADHINIYAM, 1976.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

CHAPTER I.—PRELIMINARY

1. Short title and extent.
2. Definitions.

CHAPTER II.—CONSTITUTION OF STATE COUNCIL
OF HOMOEOPATHY

3. Constitution of State Council of Homoeopathy.
4. Mode of election.
5. Disqualifications for membership of Council.
6. Incorporation of Council.
7. Term of office of President, Vice-President and members of Council.
8. No confidence motion against President and Vice-President.
9. Executive Committee and other Committees.
10. Powers and duties of President and Vice-President.

CHAPTER III.—CONDUCT OF BUSINESS OF COUNCIL AND ITS
COMMITTEES

11. Meetings of Council.
12. Quorum.
13. Meetings of Committees.
14. Vacancies in the Council and Committees thereof not to invalidate acts etc.
15. Prohibition of remuneration to members.

Sections :

CHAPTER IV.—COUNCIL FUND, BUDGET AND AUDIT

16. Constitution of Council Fund.
17. Accounts and Audit.
18. Budget.

CHAPTER V.—REGISTRAR AND OTHER EMPLOYEES OF THE COUNCIL

19. Registrar.
20. Other staff of Council.

CHAPTER VI.—REGISTRATION

21. State Register of Homoeopathy.
22. Persons entitled to be registered.
23. Entry of additional qualification in the Register.
24. Provisional registration for medical practice.
25. Removal of name from the register.
26. Publication of names entered in the State Register.

CHAPTER VII.—PREVILEGES OF REGISTERED PRACTITIONER

27. Previleges of Registered Practitioner.
28. Prohibition to practice etc., of persons not registered under this Act.
29. False assumption of degree or diploma to be an offence.
30. Prohibition of unauthorised conferment of degree, diploma etc.
31. Non-refund of fees.

Sections :

CHAPTER VIII.—EDUCATION IN HOMOEOPATHY, CONDUCT OF EXAMINATIONS, COURSES OF STUDIES AND RECOGNITION OF INSTITUTIONS

32. Examinations held by the Council and Courses of studies and research in Homoeopathy.
33. Recognition of Institutions.
34. Maintenance of standard.
35. Appointment of Visitors, Inspectors and Visiting Committees.
36. Withdrawal of recognition.
37. Scholarships, stipends and prizes.
38. Holding of convocation, conferring of Honorary degrees.
39. Publication of text books etc.

CHAPTER IX.—CONTROL

40. Control of State Government.
41. President and Vice-President to submit information.
42. Power to suspend execution of order etc., of Council.

CHAPTER X.—MISCELLANEOUS

43. Restriction on summons of a Council servants to produce documents.
44. Indemnity to persons acting under the Act.
45. Registrar and other servants of the Council to be public servants.
46. Cognizance of offences.
47. Appointment of Assessor.
48. Appeals.
49. Power to amend schedule.
50. Penalty.

CHAPTER XI.—RULES AND REGULATIONS

51. Power to make rules.
52. Power to make regulations.

CHAPTER XII.—SAVING

53. Saving.

CHAPTER XIII.—TRANSITORY PROVISIONS

54. Transitory Provision.
55. Power to remove difficulties.
56. Repeal.

SCHEDULE

MADHYA PRADESH ACT

No. 19 of 1976

THE MADHYA PRADESH HOMOEOPATHY PARISHAD
ADHINIYAM, 1976.

[Received the assent of the President on the 15th March 1976; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 15th March, 1976.]

An Act to provide for the constitution of a State Council of Homoeopathy and to regulate the registration of practitioners of Homoeopathy in the State and for matters connected therewith.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I.—PRELIMINARY

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhinyam, 1976.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "approved institution", means a hospital, health center or such other institution in which a person may undergo training, if any, required by his course of study before the award of any medical qualification in Homoeopathy;

(b) "Council", means the State Council of Homoeopathy constituted under section 3;

(c) "enlisted practitioner", means a practitioner in Homoeopathy whose name is entered in the list maintained under the repealed Act;

(d) "Homoeopathy", means the system of medicine founded by Dr. S. Hahnemann and includes Dr. Suchsler's system of Biochemic remedies whether supplemented or not by such modern advances as the Council may,

from time to time, determine and the expression "homoeopathic" shall be construed accordingly :

- (c) "medical institution" means any institution within or without the State which grants degrees, diplomas or licences in Homoeopathy ;
- (f) "recognised institution", means an institution recognised under section 33 ;
- (g) "recognised qualification", means any of the medical qualifications in Homoeopathy included in the Schedule ;
- (h) "Register", means the register maintained under section 21 ;
- (i) "registered practitioner", means a person whose name is for the time being entered on the register ;
- (j) "regulation", means a regulation made under section 52 ;
- (k) "Repealed Act", means the Madhya Pradesh Homoeopathic and Biochemic Practitioners Act, 1951 (No. 26 of 1951) ;
- (l) "University", means any University in India established by law and having a faculty of Homoeopathy and includes a University in India established by law in which instruction, teaching, training or research in Homoeopathy is provided.

CHAPTER II.—CONSTITUTION OF STATE COUNCIL OF HOMOEOPATHY

3. (1) The State Government shall, by notification, constitute for the purposes of this Act, a State Council of Homoeopathy consisting of the following members, namely :—

Constitution of State Council of Homoeopathy.

- (a) one member representing each of the Revenue Commissioner's division in the State, to be elected from amongst themselves by persons enrolled on the register as practitioner in Homoeopathy in that division ;
- (b) one member to be nominated by the State Government from each of the following,—
 - (i) Principals of recognised Homoeopathy Colleges in the State ;

- (ii) Teachers of recognised Homoeopathy College in the State ;
- (iii) Members of State Medical Service practising Homoeopathy ;
- (c) Five members to be nominated by the State Government that is, two from amongst persons having special knowledge or practical experience in respect of Homoeopathy and three from other related medical disciplines ;
- (d) One member of the Executive Council of a University to be nominated by the State Government ;
- (e) Deputy Director of Homoeopathy, Madhya Pradesh ;

Provided that in the first constitution of the Council, the members under clause (a) shall be nominated by the State Government from amongst the persons qualified to be elected as such under the said clause (a) :

Provided further that if for any reason the first council is not constituted or cannot be brought into being on the date of commencement of this Act the State Government may appoint a person to be the Officer-in-charge of the Council for a period not exceeding six months, and the officer-in-charge so appointed shall, subject to the control of the State Government, exercise all the powers and perform all the duties of the council under this Act, and he shall receive from the Council fund for his services such pay and allowances as may be fixed by the State Government :

Provided also that if the Council is constituted before the expiry of the period aforesaid, the officer-in-charge shall cease to hold the office on the date appointed for the first ordinary meeting of the newly constituted council.

(2) The President and Vice-President of the Council shall be elected by the members of the Council from amongst themselves in such manner as may be prescribed :

Provided that in the first constitution of the Council, the President and the Vice-President shall be nominated by the State Government from amongst the members of the first Council.

4. (1) An election under clause (a) of sub-section (1) of section 3 shall be conducted by an officer appointed by the State Government for the purpose in accordance with such rules as may be made by the State Government in this behalf. Mode of election.

(2) Where any dispute arises regarding any election to the Council, it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

5. (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the Council— Disqualifications for membership of Council.

- (a) if he has been convicted by a Court for an offence involving moral turpitude;
- (b) if he is of an unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (c) if he is an undischarged insolvent;
- (d) if he is a full time employee of the Council;
- (e) if his age is less than twenty five years;
- (f) if he is a dismissed employee of the Council, Central Government, State Government or any local authority;
- (g) if he has any share or interest in any contract with, by or on behalf of, the Council directly or indirectly.

(2) No person may at any time serve as a member in more than one capacity.

(3) No person falling under any of the categories specified in clause (b) of sub-section (1) of section 3 shall be eligible to be elected under clause (a) of sub-section (1) of the said section.

6. The Council shall be a body corporate by the name of the State Council of Homoeopathy, Madhya Pradesh, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable and to contract, and shall by the said name sue and be sued.

Incorporation of Council.

7. (1) The President, Vice-President or a member of the Council shall hold office for a term of five years from the date of his election or nomination, as the case may be, or until his successor shall have been duly elected or nominated, whichever is longer.

Term of office of President, Vice-President and members of Council.

(2) A person who holds, the office of President or Vice-President of the Council for two consecutive periods shall not be eligible for re-election to that office.

(3) Members of the Council shall be eligible for re-election or re-nomination.

(4) An elected or nominated member shall be deemed to have vacated his seat,—

(a) if he is absent without excuse, sufficient in the opinion of the Council, from three consecutive ordinary meetings of the Council; or,

(b) if he becomes subject to any of the disqualifications specified in sub-section (1) of section 5; or

(c) in the case of a member elected under clause (a) of sub-section (1) of section 3, if he ceases to be enrolled on the Register; or,

(d) in the case of a member nominated under clause (b), or clause (d) of sub-section (1) of section 3, if he ceases to hold the office by virtue of which he has been so nominated;

and the Council shall thereupon declare his seat to be vacant;

Provided that the Council shall not declare any seat to be vacant unless member concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.

(5) A casual vacancy in the Council shall be filled by election or nomination, as the case may be, and the person elected or nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the member whose place he takes was elected or nominated.

(6) Where the said term of five years is about to expire in respect of any member, a successor may be elected or nominated at any time within three months before the said term expires but he shall not assume office until the said term has expired.

8. (1) The President or the Vice-President may be removed from his office by a resolution passed by the Council by a majority of not less than two thirds of the members of the Council present and voting and such majority is more than one half of the total membership constituting the Council for the time being:

No confidence
motion against
President and
Vice-President.

Provided that no resolution for the purpose shall be moved unless at least fourteen days notice of intention to move the resolution has been given.

(2) The President or the Vice-President against whom a motion is passed under sub-section (1) shall, forthwith cease to hold office and in the event of removal of the President, the Vice-President shall discharge the functions of the President till his successor is elected.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules and regulations made thereunder, the Director of Health Services, Madhya Pradesh or by an officer meeting in which a motion of no confidence is discussed against him. Such meeting shall be presided over by the Director of Health Service, Madhya Pradesh or by an officer appointed by him for the purpose. However, the President or the Vice-President, as the case may be, shall have a right to speak and otherwise to take part in proceedings of the meeting.

(4) A meeting for the purposes of this section shall be held in the manner prescribed.

9. (1) The Council shall constitute from amongst its members an Executive Committee and such other Committees for general or special purposes as the Council may deem necessary to carry out the purposes of this Act.

Executive Com
mittee and other
Committees.

(2) The Executive Committee shall consist of the President and the Vice-President, who shall be members ex-officio and five other members who shall be elected by the Council from amongst its members of whom at least three shall be from amongst the nominated members of the Council.

(3) The President and the Vice-President shall be the President and Vice President respectively of the Executive Committee.

(4) In addition to the powers and duties conferred and imposed upon it by this Act, the Executive Committee shall exercise and discharge such powers and duties as the Council may confer or impose upon it by any regulations which may be made in this behalf.

(5) A Committee constituted under sub-section (1) shall be under the control of the Council in exercise or discharge of any powers, duties and functions, conferred or imposed upon it by or under this Act and the Council shall be competent to revise or rescind any order or decision passed or taken by any such committee.

Powers and duties of President and Vice-President.

10. (1) The President shall have power to convene the meetings of the Council and the Executive Committee. He shall preside at the meetings of the Council, Executive Committees and at such other Committees of which he is member.

(2) It shall be the duty of the President to ensure that this Act and the rules and regulations made thereunder are faithfully observed and he shall have, subject to the control of the Executive Committee, the powers necessary for this purpose.

(3) The President shall exercise general control over the affairs of the Council and shall give effect to the decisions of the Council, Executive Committee and other Committees.

(4) The President shall exercise such other powers as may be conferred on him by the Council.

(5) The President may empower the Vice-President to exercise under his control any one or more of his powers, duties or functions.

(6) The Vice-President shall,—

(a) in the absence of the President, exercise the powers and perform the functions of the President; and

(b) at any time perform any duty and exercise, when occasion arises, any power delegated to him by the President under sub-section (5).

CHAPTER III—CONDUCT OF BUSINESS OF COUNCIL AND ITS COMMITTEES.

Meetings of Council.

11. The Council shall meet and shall, from time to time, make such arrangements with respect to place, day, time, management and adjournment of its meetings as it thinks fit, subject to the following provisions, namely :—

(a) an ordinary meeting shall generally be held at least once every six months;

(b) the President may, whenever, he thinks fit and shall, on a requisition signed by not less than one third of the total number of members constituting the Council for the time being, call a special meeting;

(c) every meeting shall be presided over by the President and in his absence by the Vice-President and in the absence of both the President and the Vice-President, by any member chosen by the members present for the meeting to preside for the occasion;

(d) all questions at any meeting shall be decided by a majority of the members present and voting and in case of equality of votes, the person presiding shall have and exercise a second or casting vote;

- (e) the names of the members present and the minutes of the proceedings of each meeting shall be recorded in a book to be provided for the purpose;
- (f) the minutes shall be approved by the Council in the same meeting or the meeting next following and signed by the President or the person presiding at the meeting and a copy thereof shall be forwarded to the State Government or to such officer of the State Government as the State Government may specify in his behalf, within fifteen days from the date of approval.

12. (1) The quorum for a special meeting shall be of eleven members and that for an ordinary meeting shall be of four members. Quorum.

(2) If in any special or ordinary meeting of the Council a quorum is not present, the President shall adjourn the meeting to such hour or other day as he may think fit, and business which would have been brought before the original meeting, if there has been a quorum present, shall be brought before, and transacted at, the adjourned meeting, whether there is a quorum present or not.

13. (1) The Committees constituted under section 9 shall meet as often as may be necessary but not less than twice in each year at such time and place as may be appointed by the Council. Meetings of Committees.

(2) Unless otherwise provided by rules one-third of the total number of members of the Committee shall form a quorum and all the acts of the Committee shall be decided by a majority of the members present and voting.


14. No act or proceeding of the Council or any Committee thereof shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Council or the Committee, as the case may be. Vacancies in the Council and Committees thereof not to invalidate acts etc.

15. No member shall be granted any remuneration or allowance of any kind whatsoever by the Council except with the previous sanction of the State Government and in accordance with the rules made by the State Government in this behalf. Prohibition of remuneration to Members.

CHAPTER IV—COUNCIL FUND, BUDGET AND AUDIT

16. (1) There shall be formed a Fund to be called the Council Fund and there shall be credited thereto— Constitution of Council Fund.

- (a) all fees collected in respect of registrations made under this Act;
- (b) all fees collected in respect of examinations conducted by the Council under this Act;
- (c) any other fee that may be charged and collected by the Council under this Act or the rules and regulations made thereunder;



15 मई 1976
(d) any grants or loans that may be made by the Central Government or the State Government for the purpose of this Act;

(e) any grants or loans that may be made by any person for the purpose of this Act;

(f) all sums that may be received by the Council by way of donations, trust, bequest or any other grant.

(2) The Council Fund formed under sub-section (1) shall be expended to meet all expenses and liabilities properly incurred by the Council for carrying out the purposes of this Act.

(3) All moneys standing at the credit of the Council Fund shall be deposited in the State Bank of India or in any other Bank specified in column 2 of the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (No. 5 of 1970) or a co-operative Bank and shall be operated upon by such person or persons and in such manner as may be prescribed.

Accounts and
Audit.

17. (1) The accounts of the Council shall be prepared before such date and at such intervals and in such manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Council shall be audited by the Director of Local Fund Accounts and shall be subject to the provisions of the Madhya Pradesh Sthanika Nidhi Sampariksha Adhinyam, 1973 (No. 43 of 1973).

(3) As soon as the accounts of the Council are audited, the Council shall send a copy thereof, together with a copy of the report of the Director of Local Fund Accounts thereon, to the State Government in such manner as may be prescribed.


Budget.

18. (1) The Registrar shall cause to be prepared, in such form as may be prescribed, a budget in respect of the financial year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure and shall cause it to be laid before the Council at such time and in such manner as may be prescribed.

(2) Within fifteen days from the date of the meeting in which the budget is passed it shall be forwarded to the State Government or such officer of the State Government as the State Government may specify in this behalf.

(3) If the State Government is of the opinion that provisions of budget so forwarded to it are not adequate for carrying out the purposes of the Act, it shall return the budget to the Council or such modifications as may be suggested by the State Government.

(4) The Council shall be competent to re-appropriate such amounts as may be necessary from one head to another and within such heads or minor heads.



(5) The Council may, as and when required, pass a supplementary budget in such form and by such date as may be prescribed and the provisions of sub-sections (2), (3) and (4) shall apply to such supplementary budget.

CHAPTER V--REGISTRAR AND OTHER EMPLOYEES OF THE COUNCIL

19. (1) The Council shall, with the previous sanction of the Registrar State Government, appoint a Registrar. The Registrar shall be a full time salaried officer of the Council and terms and conditions of his service including disciplinary control and right of appeal shall be such as may be prescribed :

Provided that in the event of any vacancy occurring in the office of the Registrar for a period of not exceeding two months, the Council may appoint any person to act as Registrar.

(2) The Registrar shall be the principal executive Officer of the Council and all employees of the Council shall be subordinate to him. He shall be the Secretary of the Council, Executive Committee and all other Committees constituted under section 9 except the Committee in which the conduct of the Registrar is under enquiry.

20. The Council may appoint such employees as it may think necessary for the efficient performance of its functions under this Act and the strength and the categories of employees and their terms and conditions of service shall be such as may be prescribed.

Other staff of Council.

CHAPTER VI--REGISTRATION

21. (1) The Council shall cause to be maintained in the prescribed manner a register of practitioners of Homoeopathy to be known as the State Register of Homoeopathy in such form and containing such particulars as may be prescribed.

State Register of Homoeopathy.

(2) It shall be the duty of the Registrar to keep and maintain the State Register in accordance with the provisions of this Act and of any order made by the Council, and from time to time to revise the register and publish it in the Gazette and in such other manner as may be prescribed.

(3) Such register shall be deemed to be a public document within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (No. 1 of 1872) and may be proved by a copy published in the Gazette.

22. (1) Every person who possesses recognised qualification mentioned in the Schedule shall, at any time on an application made in the form prescribed to the Registrar and on payment of such fee as may be prescribed be entitled to have his name entered in the register.

Persons entitled to be registered.

(2) The name of every person who on the day immediately preceding the 15th day of September, 1975 was registered in the register prepared under the repealed Act shall be entered in the register under this Act without such person being required to make an application or to pay any fee:

Provided that such person shall pay such fee in such manner as may be prescribed within a period of two years from the 15th day of September, 1975 and on his failure to do so his name shall be removed from the register and shall be re-entered in the register on an application made by such person in such form, within such further period and on payment of such additional fee as may be prescribed :

Provided further that no application for re-entry shall be entertained after the expiration of the period under the preceding proviso, but it shall not prejudice the right of the applicant to seek fresh registration under this section.

(3) Every registered practitioner shall be given a certificate of registration in the prescribed form. In the event of such certificate being lost, defaced or destroyed a duplicate thereof shall be issued on payment of a fee of ten rupees and the certificate so issued shall be marked duplicate.

Entry of additional qualification in the Register.

23. If any person whose name is registered in the State register obtains any title, degree, diploma or other qualification in Homoeopathy he shall on application made in this behalf and on payment of a fee of five rupees be entitled to have an entry stating such other title, degree, diploma or other qualification made against his name in the register either in substitution for or in addition to any entry previously made.

Provisional registration for medical practice.

24. A person who has passed the qualifying examination, on application made by him in this behalf, shall be granted provisional registration in the Register in order to enable him to practice medicine,—

(a) in an approved institution, if the course of study includes a period of training to be undergone for obtaining a recognised qualification before such qualification is conferred on him;

(b) till the recognised qualification is conferred upon him at a convocation held by the Council in accordance with the provisions of this Act.

Removal of name from the register.

25. (1) If a registered practitioner has been, after due inquiry held by the Council in the manner prescribed, found guilty of any misconduct, the Council may—

(a) issue a letter of warning addressed to such practitioner;
or

(b) direct that the name of such practitioner,—

- (i) to be removed from the register for such period as may be specified in the direction, or
- (ii) be removed from the register permanently.

Explanation.—For the purpose of this section misconduct shall mean—

(i) conviction of the registered practitioner by a criminal court for an offence which involves moral turpitude and which is cognizable within the meaning of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974);

(ii) infamous conduct in any professional respect that is to say professional misconduct specified by the regulations under sub-section (2) of section 24 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (No. 59 of 1973).

(2) The Council may, on sufficient cause being shown, direct at any time that the name of the practitioner so removed shall be re-entered in the register on such conditions and on payment of such further fee as the Council may impose.

(3) The Council may on its own motion or on the application of any person, after due and proper enquiries and giving an opportunity to the person concerned of being heard, cancel or alter any entry in the register if, in the opinion of the Council, such entry was fraudulently or incorrectly made.

(4) The Council may on its own motion or on the application of any person, after due and proper enquiries, remove the name of any practitioner from the register, if,—

(a) he has expired;

(b) he has ceased to practise;

(c) he being a practitioner in any system of medicine other than Homoeopathy has ceased to practise Homoeopathy.

(5) In holding enquiries under this section the Council or the Committee appointed by the Council for the purpose, as the case may be, shall be deemed to be a Court within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (No. 1 of 1872), and shall exercise all the powers of a Commissioner appointed under the Public Servant (Inquiries) Act, 1850 (No. 37 of 1850), and such enquiries shall be conducted, as far as may be, in accordance with the provisions of sections 3, 5, 8 to 20 of the Public Servant (Inquiries) Act, 1850 (No. 37 of 1850).

Publication of names entered in the State Register.

26. (1) The Registrar shall, in every year and from time to time as the occasion may require, on or before a date to be fixed in this behalf by the Council, cause to be published in the Gazette and in such other manner as the Council may provide, a full or supplementary list of the names for the time being entered in the Register and setting forth:

- (a) the registered address and appointment, held by or actual employment of, each person whose name is entered in the Register; and
- (b) the registered titles, degrees, diplomas and other qualifications of each such person and the date on which each such title, degree or diploma was granted or qualification certified:

Provided that the Registrar shall from time to time get published in the Gazette the names of such registered practitioners whose names have been duly removed from the register under any provisions of this Act.

(2) In any proceeding it shall be presumed that every person entered in such list is a registered practitioner and that any person not so entered is not a registered practitioner:

Provided that in the case of a person whose name has been entered in the register after the last publication of the list, a certified copy signed by the Registrar of the entry of the name of such person in the register, shall be evidence that such person is registered under this Act. Such certificate shall be issued free of charge.

CHAPTER VII—PREVILEGES OF REGISTERED PRACTITIONER

Privileges of Registered Practitioner.

27. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force,—

- (1) the expression "legally qualified medical practitioner" or "duly qualified medical practitioner" or any word or expression importing that a person is recognised by law as a medical practitioner or as a member of the medical profession, shall in all Acts of the Legislature of Madhya Pradesh and in all Central Acts in their application to Madhya Pradesh in so far as such Acts relate to any of the matters specified in list II or list III of the Seventh Schedule to the Constitution of India shall include a registered practitioner;
- (2) a certificate required by or under any Act or rule having the force of law from any medical practitioner or medical officer shall be valid if such certificate has been granted by a registered practitioner;

(3) a registered practitioner shall be eligible to hold any appointment to any professional office by whatever designation called, in any Homoeopathic dispensary, hospital, asylum, infirmary, lying-in-hospital supported by or receiving a grant from the State Government or any local authority, or in any public or private establishment, body or institution dealing with such systems of medicine;

(4) Every registered practitioner shall be entitled to practise within the State as a medical practitioner and to recover in due course of law in respect of such practice any expenses or charges in respect of medicaments or other appliances, or any fees to which he may be entitled;

(5) Every registered practitioner shall be exempted if he so desires from serving on any inquest or as a juror or assessor under the code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2, of 1974).

28. Notwithstanding anything contained in any other law for the time in force,—

Prohibition to practice etc. of persons not registered under this Act.

(1) no person other than a practitioner registered under section 22 shall practise for gain or hold himself out whether directly or by implication, as practising or competent to practise Homoeopathy for gain;

(2) no person other than a registered practitioner—

(a) shall sign or authenticate a birth or death certificate required by any law or rule for the time being in force to be signed or authenticated by a duly qualified medical practitioner;

(b) shall sign or authenticate a medical or physical fitness certificate required by any law or rule for the time being in force to be signed or authenticated by a duly qualified medical practitioner; or

(c) shall be qualified to give evidence at any inquest or in any court of law as an expert under section 45 of Indian Evidence Act, 1872 (No. 1 of 1872), on any matter relating to medicine.

29. No person shall use any title or description or add to his name implying that he holds a recognised qualification or that he is a registered practitioner or that his name is entered in the list referred to in section 53 unless he actually holds such degree, diploma, licence or certificate or is registered under section 22 or is borne on the list maintained under section 18 of the repealed Act.

False assumption of degree or diploma to be an offence

Prohibition of un-
authorised con-
ferment of degree,
diploma, etc.

30. No person, association or institution, other than the Council, University or an institution authorised by the Government shall confer, grant or issue any degree, diploma, licence, certificate or any other document, stating or implying that the holder, grantee or recipient thereof is qualified to practise the Homoeopathy.

Non refund of
fees.

31. Fees required to be paid by or under any provisions of this Act shall not be refunded.

CHAPTER VII—EDUCATION IN HOMOEOPATHY, CONDUCT OF EXAMINATIONS, COURSES OF STUDIES AND RECOGNITION OF INSTITUTIONS.

Examinations
held by the
Council and
Courses of studies
and research in
Homoeopathy.

32. (1) The Council, shall by regulations, provide for the examinations to be held by it, the qualifications for admission to such examinations, the courses of studies for such examinations, the standard of passing the degree, diploma, certificate or any other like award to be given to persons who pass the examinations and such other matters in respect of such examinations as may be necessary and may establish the necessary institutions for giving such training.

(2) The Council may on its own or with the assistance of the State Government or Central Government establish a research institution in Homoeopathy.

Recognition of
Institutions.

33. (1) Every recognised institution shall be entitled to prepare students for the examinations of the Council for which it is recognised.

(2) Any institution desirous of recognition under this Act shall send an application to the Registrar in such form and manner together with such fee as the Council may, by regulations, provide.

(3) The Registrar shall place the application before the Council and the Council may, after making such enquiry as it may deem necessary, grant or refuse to grant the recognition or grant it subject to such conditions as it deems fit:

Provided that recognition shall not be granted unless—

(a) the applicant has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Chikitsa-Shiksha Sanstha (Niyantaran) Adhiniyam, 1973 (No. 19 of 1973) and has been granted permission to establish and administer or run the institution of medical education;

(b) the minimum standards of education in Homoeopathy, if any, prescribed under section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (No. 59 of 1973) are fulfilled.

34. It shall be the duty of the Council to secure the main- Maintenance of
tenance of an adequate standard of proficiency in education and standard
the purpose of securing such standard the Council shall have
authority to call on the authorities or the governing body of any
institution recognised by the Council or applying for recognition,—

- (a) to furnish within such period such particulars as the Council may require of any course of study prescribed by regulations or of any examination held by such institution;
- (b) to furnish the Council the financial position of the college and the governing body; and
- (c) to permit visitor or inspector or any member appointed by the Council or the Central Council of Homocopathy or the State Government in this behalf to inspect the institution and the hospitals attached to them and to attend at all or any of the examinations held by the institutions.

35. (1) The Council may, as provided by Regulations, Appointment of
appoint visitors and visiting committees consisting of its own Visitors Inspec-
members or outsiders or both for inspection and to report on the tors and Visiting
working of medical institutions. A visitor or members of the Committees.
visiting committee shall receive such remuneration to be paid as
part of the expenses as may be prescribed.

(2) The Council may, with the previous sanction of the State Government, appoint such number of inspectors and on such terms and conditions as may be prescribed.

(3) Such inspectors shall, in accordance with general or special directions of the Council given from time to time, inspect the institutions established by or recognised by the Council and shall attend any examination held at the institutions and shall report to the Council their observations and opinions on the adequacy of the standard of education including staff, equipment, training and other facilities or on the sufficiency of every examination they attend. The inspectors or visitors shall however not interfere with the conduct of the training and the examination.

36. If it appears to the Council on the report of inspection or Withdrawal of
otherwise that any recognised institution is not maintaining an recognition.
adequate standard of training according to the requirements of
the Council or of the Central Council of Homocopathy, the Council
may at any time withdraw the recognition granted to such insti-
tution:

Provided that before withdrawal of the order for recognition is made the institution shall be given a reasonable opportunity and time to come up to the required standard.

37. (1) The Council may grant out of its fund, scholarships, Scholarships. sti-
prizes and medals to the students of the recognised institutions. pends and prizes.

(2) The Council may, with prior sanction of the State Government, grant—

(a) stipends to the poor and deserving students;

(b) scholarships for research and higher or special study in Homocopathy in any institution that the Council may think fit whether in India or abroad.

Holding convocation conferring of Honorary degrees.

38. (1) The Council may once in each year hold convocation for presentation of degrees, diplomas and other awards to persons who are successful at the examination conducted by the Council in the preceding year.

(2) The Council may confer honorary-degrees on Homocopathic practitioner of repute and on other such persons of extraordinary merit, in such convocation.

Publication of text books etc.

39. The Council may prepare and publish text books for courses of studies prescribed by it for examinations conducted by it and publish a journal of the Council.

CHAPTER IX—CONTROL

Control of State Government.

40. (1) If at any time it appears to the State Government that the Council has failed to exercise or has exceeded or abused any of the powers conferred upon it by or under this Act or has failed to perform any of the duties conferred upon it by or under this Act, the State Government may, if it considers such failures, excess or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Council; and if the Council fails to remedy such failure, excess or abuse within such time as the State Government may fix in this behalf, the State Government may dissolve the Council for such period not exceeding five years as it may think fit and shall take steps to bring into existence a new Council.

(2) upon the dissolution of the Council under sub-section (1), the following consequences shall ensue, namely :--

(a) all the members as well as the President and the Vice-President of the Council shall, as from the date of dissolution of such Council, be deemed to have vacated their offices;

(b) all powers and duties of the Council under this Act shall subject to the control of the State Government, be exercised by an Officer to be called the Administrator as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

(c) all property vested in the Council shall vest in the Administrator in trust for the purposes of this Act.

(2) The Administrator appointed under clause (b) of sub-section (2) may at any time be removed by the State Government who shall have power to appoint another officer in his place.

(4) Any Officer appointed Administrator under clause (b) of sub-section (2) shall receive from the Council Fund for his services such remuneration as may be fixed by the State Government.

(5) The Administrator shall cease to hold office on the date fixed for the first ordinary meeting of the council as reconstituted.

(6) The State Government may appoint, if it thinks necessary, an Advisory Committee of Registered Practitioners not exceeding seven for the purpose of advice and guidance to the Administrator appointed under clause (b) of sub-section (2). Every member of the Committee shall receive allowances at such rate at which allowances are payable to members of the Council.

41. (1) The Council may require the President or the Vice-President to furnish it with,—

- (a) any returns, statistics or any other information, regarding any matter appertaining to the administration of the Council;
- (b) a report or explanation on any such matter;
- (c) a copy of any record, correspondance, plan or other documents which is in his possession or control as President or which is recorded or filed in the office of any servant of the Council.

President or Vice-President to submit information.

(2) The President shall comply with every requisition made under sub-section (1) without unreasonable delay.

42. If in the opinion of the State Government, the execution of any order or resolution of the Council, or of any of its Committee or any other authority or officer subordinate thereto, or the doing of any act which is about to be done or is being done by or on behalf of the Council is not in conformity with law or with the rules made thereunder or is detrimental to the interests of the Council or, the public, it may by order in writing suspend the execution of such resolution or order or prohibit the doing of any such act:

Power to suspend execution of order etc., of Council.

Provided that no order shall be varied or reversed without giving the Council reasonable opportunity of showing cause against the order.

CHAPTER

NEOUS

Restriction on summons of a Council servants to produce documents.

43. No member-
in any legal proceeding
be required to produce any register or documents or to appear as a witness to prove the matter recorded therein, unless the Court for special reasons, so directs.

Indemnity to persons acting under the Act.

44. No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything which is, in good faith, done or intended to be done under this Act or under the rules or regulations made thereunder.

Registrar and other servants of the Council to be public servants.

45. The Registrar and any other officer or servant of the Council shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Cognizance of offences.

46. (1) No Court other than the Court of a Magistrate of First Class shall take cognizance of or try an offence under this Act.

(2) No Court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint in writing by the Registrar or such other officer as the Council may, by general or special order, authorise in this behalf.

Appointment of Assessor.

47. (1) For the purpose of advising the Council on questions of law arising in any inquiry or in general, there may be appointed by the Council, an assessor who shall be an Advocate enrolled under the Advocates Act, 1961 (No. 25 of 1961).

(2) Any assessor under this section may be appointed either generally or for any particular inquiry or class of inquiries and shall be paid such remuneration as may be determined by the Council.

Appeals

48. (1) An appeal shall lie to—

- (a) the Council from every decision or order of the Registrar under this Act;
- (b) the State Government from every decision of the Council under this Act except a decision in appeal made by the Council under clause (a).

(2) Every appeal shall be preferred within such period, in such manner and with such fee as may be prescribed.

(3) The decision of the Council or the State Government, as the case may be, in appeal shall be final.

49. (1) Any University or other medical institution in India or outside which grants medical qualifications in Homoeopathy not included in the Schedule may apply to the State Government to have such qualification recognised and the State Government after consulting the Council, by notification, amend the schedule so as to include such qualification therein and such notification may also direct that such qualification shall be recognised qualification when granted after a specified date. Power to amend schedule.

(2) The State Government may, by notification, amend the Schedule so as to include therein the recognised medical qualification included in the Second Schedule and Third Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (No. 59 of 1973) from time to time.

50. Any person who contravenes any of the provisions of this Act, or any of the rules made thereunder shall, on conviction be punishable with fine which may extend to one thousand rupees on first conviction and if the persons so contravening is an association, every member of such association who knowingly or willingly authorises or permits the contravention, shall on conviction be punishable with fine which may extend to one thousand rupees on the first conviction and two thousand rupees for every subsequent conviction. Penalty. ✓

CHAPTER XI—RULES AND REGULATIONS

51 (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rule may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the manner of election of the President and Vice-President of the Council under sub-section (2) of section 3;
- (b) the mode of election of members under section 4;
- (c) the resignation of President, Vice-President and members;
- (d) the manner of holding meeting for the purpose of section 8;
- (e) the summoning and holding of meetings of the Council and the committees thereof, the times and places where such meetings are to be held, and the conduct of the business and maintenance of the minutes of the proceedings thereat and the number of members necessary to constitute a quorum at the meetings of the committees;

- (f) the remuneration or allowance to be granted to President, Vice-President or member under section 15;
- (g) (i) the date before which the intervals at which and the manner in which, the accounts of Council shall be prepared under sub-section (1) of section 17;
- (ii) the manner of submission of copy of audited accounts to the State Government under sub-section (3) of section 17;
- (h) (i) the form in which the budget shall be prepared under sub-section (1) of section 18, and the time of which and the manner in which the same shall be laid before the Council;
- (ii) the form in which and the date by which the supplementary budget shall be prepared under sub-section (4) of section 18;
- (i) the cadre, qualifications, salary and allowances and other terms and conditions and the disciplinary control and right of appeal of the Registrar under section 19;
- (j) the number, cadre, qualifications, recruitment, salary allowances and other terms and conditions of service including disciplinary control and right of appeal of the officers and servants of the Council other than the Registrar to be prescribed under section 20;
- (k) (i) the manner in which the register shall be maintained under sub-section (1) of section 21;
- (ii) the manner in which the register shall be published under sub-section (2) of section 21;
- (l) (i) the fee and the form in which the application shall be made under sub-section (1) of section 22;
- (ii) the fee and the manner of payment of fee under sub-section (2) of section 22;
- (iii) the form in which certificate of registration shall be given under sub-section (3) of section 22;
- (m) the manner in which inquiry shall be held under sub-section (1) of section 25;
- (n) the number, cadre, qualifications, recruitment salary, allowances and other terms and conditions of service including disciplinary control and right of appeal of the inspectors to be appointed under the sub-section (2) of section 35;

- (o) the period within which and the manner in which the appeal shall be preferred under section 48 and the fee which shall accompany such appeal;
- (p) any other matter which is to be or may be prescribed by, or provided for by rules made under this Act.

(3) The rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

52. (1) Subject to the provisions of this Act and rules made thereunder the Council may, with the previous sanction of the State Government, make regulations generally to carry out the purposes of this Act and without prejudice to the generality of this power such regulations may provide for—

- (a) the election of members to the Executive Committee and other Committees of the Council;
- (b) the powers and duties of the Executive Committee;
- (c) the powers and duties of the Council to be conferred on the President under section 10;
- (d) the manner in which the list of registered practitioners shall be published under section 26;
- (e) the courses of study for training and qualifying examinations and the conditions of admission of students of the institutions and the examination under section 32;
- (f) the conditions of appointment of examiners and all matters related with conduct of examinations, including remuneration and other expenses;
- (g) the number, qualifications and emoluments of teachers of the recognised institutions and the fees to be charged for the courses of study in each institution;
- (h) conditions of recognition of institutions and maintenance of standard of education in such institution;
- (i) the conditions subject to which stipends, scholarships, prizes and medals shall be granted;
- (j) any matter for which under this Act provision may be made by regulation.

(2) The State Government, on receiving regulations for sanction may sanction them subject to such modifications as it may think fit or return them to the Council for further consideration.

- (3) All regulations shall be published in the Gazette.
- (4) The State Government may, by notification, cancel any regulation.

CHAPTER XII.—SAVINGS

Savings.

53. Notwithstanding the repeal of the Madhya Pradesh Homoeopathic and Biochemic Practitioners Act, 1951 (No. 26 of 1951), persons whose names are borne on the list maintained under section 18 of the repealed Act shall continue to have the same rights as in respects of practising Homoeopathy in the State as they had under the repealed Act.

CHAPTER XIII.—TRANSITORY PROVISIONS

Transitory
Provisions

54. The Council may, with previous approval of the State Government, make such modifications in the rules and regulations made under the repealed Act as it may deem fit for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act and the rules or regulations as so modified shall remain in force till such time they are repealed by rules or regulations made under this Act.

Power to remove
difficulties.

55. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not in consistent with the provisions of this Act, remove the difficulty.

Repeal.

56. The Madhya Pradesh Homoeopathy Council Adhyadesh, 1975 (No. 13 of 1975) is hereby repealed.

Schedule

(Section 22)

Recognised Medical Qualifications in Homoeopathy granted by Universities, Councils, Boards or Medical Institutions in India and Abroad.

Name of University, Court, Council, Board or Medical Institutions	Recognised Medical Qualification	Abbreviation for registration	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
Andhra Pradesh			
1. Andhra Provincial Homoeopathic Medical College, Gudivada.	Diploma in Homoeopathic Medicine.	D.H.M.	April, 1949 to March, 1969
2. Dr. Gururaju Government Homoeopathic Medical College, Gudivada.	Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery.	D. H. M. S.	From April, 1970 onwards.
3. Board of Indian Medicine, Hyderabad.	Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery.	D. H. M. S.	From October 1971.
Bihar			
4. Bihar State Board of Homoeopathic Medicine.	Diploma in Medicine and Surgery.	D. M. S.	Since 1961.
	Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery.	D. H. M. S.	From 1971 onwards.
Delhi			
5. Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi.	Diploma in Homoeopathic Science.	D. H. S.	From 1965 to 1970-71.
	Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery.	D. H. M. S.	From 1971 onwards.
Karnataka			
6. The Homoeopathic Medical College, Beigaum.	Licentiate of the Court of Examiners in Homoeopathy.	L. C. E. H.	From June, 1971 to December, 1971.
7. Court of Examiners in Homoeopathic Education, Bangalore.	Licentiate of the Court of Examiners in Homoeopathy.	L. C. E. H.	From January 1971.
	Graduate of the Court of Examiners in Homoeopathy.	G. C. E. H.	From January 1973.
Kerala			
8. Royal College of Homoeopathic Physicians, Ernakulam.	Licentiate of Royal College of Homoeopathic Physicians.	L. R. C. H. P.	Up to 1966-67.
9. Board of Examiners in Homoeopathy, Government of Kerala.	Diploma in Homoeopathic Medicine.	D. H. M.	From 1962 onwards.
Madhya Pradesh			
10. The Board of Homoeopathic and Biochemic Systems of Medicine, Madhya Pradesh.	Diploma in Homoeopathic and Biochemistry.	D. H. B.	From October 1955 onwards.

(1)	(2)	(3)
Maharashtra		
11. The Court of Examiner, of Homoeopathic and Biochemic Systems of Medicine, Bombay.	Licentiate of the Court of Examiners in Homoeopathy. Diploma in Homoeopathy and Biochemistry.	L. C. E. H. From December 1961 on wards. D. H. B. From October, 1955 onwards.
12. Court of Examiners in Homoeopathy.	Fellow of the Court of Examiners in Homoeopathy.	F. C. E. H. In May, 1958 only.
13. Sdharbha Board of Homoeopathic and Biochemic Systems of Medicines, Nagpur	Diploma in Homoeopathy and Biochemistry.	D. H. B. From 1-11-56.
Orissa		
14. Orissa Board of Homoeopathic Medicine, Bhubaneswar.	Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery.	D. H. M. S. From 1972 onwards.
Uttar Pradesh		
15. State Board of Homoeopathic Medicine, Uttar Pradesh, Lucknow.	Graduate of Homoeopathic Medicine and Surgery.	G. H. M. S. From 1961 to 1963.
	Bachelor of Medicine and Surgery.	B. M. S. From 1958 to 1960 and from 1970 on wards.
	Certificate of Homoeopathic Practice.	C. H. P.
16. Agra University, Agra	Graduate of Homoeopathic Medicine and Surgery.	G. H. M. S. From 1965 to 1967.
17. Kanpur University, Kanpur	Graduate of Homoeopathic Medicine and Surgery.	G. H. M. S. From 1967 onwards.
18. National Homoeopathic Medical College and Hospital, Lucknow.		H. I. M. S. From 1923 to 1936.
		H. M. D. From 1937 to 1942.
		H. M. B. From 1949.
		B. M. S. From 1950 to 1957.
19. Homoeopathic Medical College, Lucknow.		H. M. B. From 1931 to 1936.
20. The Superior Independent Institute of Applied Science Lucknow.		M. D. H. From 1916 to 1940.